1

पुर्वावलोकन

हिमाचल प्रदेश में मात्स्यिकी विभाग की स्थापना वर्ष 1966 में एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में हुई। इससे पूर्व वन विभाग का एक अंग प्रदेश में इस कार्य की देख–रेख कर रहा था तत्पश्चात प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास व दोहन करके विभाग स्वतन्त्र रूप से प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए अस्तित्व में आया तथा प्रदेश में निम्नलिखित जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया गया :–

शीत जल– ट्राऊट जल 600 कि0मी0

सामान्य जल 2400कि0मी0

जलाशय जल स्त्रोत 43775हैक्टेयर

तालाबों एवं छोटे चश्मों के रूप में सामान्य जलक्षेत्र 535 हैक्टेयर

ठण्डे क्षेत्रों की प्राकृतिक झीलें एवं निर्मित तालाब 617हैक्टेयर

2

विभाग का संरचनात्मक ढांचा

हिमाचल प्रदेश मात्स्यिकी विभाग में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य के अतिरिक्त 2 उप–निदेशक मत्स्य, 9 सहायक निदेशक मत्स्य, 7 वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी व 15 मत्स्य अधिकारी अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ कार्य निष्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान **श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, माननीय वन एवं मत्स्य मन्त्री के रूप में, श्रीमति उपमा चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मत्स्य)** के रूप में विभाग के मार्गदर्शक तथा **श्री गुरचरण सिंह, निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य** रहे। निदेशालय स्तर पर श्री सतपाल मैहता, उप–निदेशक मुख्यालय, श्री योगेश कुमार गुप्ता (सहायक निदेशक मत्स्य–20 सूत्रीय कार्यक्रम), श्री सुशील जनारथा (सहायक निदेशक मत्स्य–मुख्यालय), समस्त तैनात कर्मचारी वर्ग के साथ तथा क्षेत्रीय स्तर पर कुल्लू में उप निदेशक मत्स्य, पतलीकूहल व अन्य जिलों में सहायक निदेशक मत्स्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतू उत्तरदायी रहे। केवल जिला हमीरपुर में यह कार्य वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य की देखरेख में, जिला किन्नौर में वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, सांगला द्वारा तथा जिला लाहौल व स्पिति में विभाग का कोई अधिकारी तैनात न होने के कारण यह कार्य लाहौल में वन मण्डल अधिकारी द्वारा तथा पांगी एवं स्पिति में सहायक निदेशक पशु पालन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया।

वर्ष 2015–16 में उपलब्ध विभागीय संरचना

क्र0	नाम	पदनाम
1	श्री ठाकुर सिंह भरमौरी	माननीय वन एवं मत्स्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश, शिमला।
2	श्रीमति उपमा चौधरी	अतिरिक्त मुख्य सचिव (मत्स्य) हिमाचल प्रदेश, सरकार शिमला।
3	श्री गुरचरण सिंह	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर।
4	श्री सतपाल मैहता	उप–निदेशक मत्स्य (मु0) मत्स्य निदेशालय बिलासपुर, हि0प्र0।
5	श्री विजय कुमार पुरी	उप–निदेशक मत्स्य,पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
6	श्री सुशील जनारर्था	सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन, हि0प्र0।
7	श्री सुनील मैहता	सहायक निदेशक मत्स्य, (मु0)मत्स्य निदेशालय बिलासपुर, हि0प्र0।
8	श्री महेश कुमार	सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डी, हि0प्र0।
9	श्री अशोक वर्मा	सहायक निदेशक मत्स्य, नाहन, हि0प्र0।

10	श्री राजन सूद	सहायक निदेशक मत्स्य, बिलासपुर, हि0प्र0।
11	श्री पंकज ठाकुर	सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर बिलासपुर, हि0प्र0।
12	श्री हमीर चन्द	सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना, हि0प्र0।
13	श्री तपेश चौहान	सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला, हि0प्र0।
14	श्री योगेश कुमार गुप्ता	सहायक निदेशक मत्स्य, (बीस सूत्रीय कार्यक्रम) मत्स्य निदेशालय, बिलासपुर हि0प्र0।
15	श्री खेम सिंह ठाकुर	सहायक निदेशक मत्स्य, पौंगडैम, जिला कांगड़ा हि0प्र0।
16	श्री भूपेन्द्र कुमार	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, गगरेट जिला ऊना, हि0प्र0।
17	डॉ. लवल कुमार	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, चम्बा, हि0प्र0।
18	श्रीमति चंचल ठाकुर	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, हमीरपुर, हि0प्र0।
19	श्री डा0 सोम नाथ	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, नालागढ़, हि0प्र0।
20	श्री जगत पाल शर्मा	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
21	श्री श्याम लाल शर्मा	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, बिलासपुर, हि0प्र0।
22	श्री पंकज ठाकुर	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पालमपुर, स्थित कार्प फार्म कांगड़ा, हि0प्र0।
23	श्री विवेक शर्मा	मत्स्य अधिकारी, शिमला, हि0प्र0।
24	श्रीमति नीतू सिंह	मत्स्य अधिकारी, बटाहर, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
25	श्री संदीप कुमार	मत्स्य अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
26	श्री राकेश कुमार	मत्स्य अधिकारी, खटियाड़, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
27	श्री अरूण कान्त वर्मा	मत्स्य अधिकारी, मछ्याल, जिला मण्डी, हि0प्र0।
28	कु0 रिचा गुप्ता	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट मत्स्य फार्म पतलीकुहल, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
29	श्री अजय कुलदीप	मत्स्य अधिकारी, अल्सू, जिला मण्डी, हि0प्र0।
30	श्री राम सिंह	मत्स्य अधिकारी, धमवाडी जिला शिमला, हि0प्र0।
31	श्री विजय कुमार सरोच	मत्स्य अधिकारी, नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
32	श्री राजेन्द्र पॉल	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट मत्स्य फार्म बरोट, जिला मण्डी, हि0प्र0।
33	श्री दुनी चन्द	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म दयोली बिलासपुर हि0प्र0।
34	श्री सुरेन्द्र कुमार पटियाल	मत्स्य अधिकारी, लठियाणी, जिला ऊना, हि0प्र0।
35	श्री हितेश कुमार कौण्डिल	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य आवतरण केन्द्र जडडू बिलासपुर हि0प्र0।
36	श्री तेजराम	उप–निरीक्षक मत्स्य, जागरूकता केन्द्र बिलासपुर

37	श्री प्रीतम चन्द	उप–निरीक्षक मत्स्य, संधारा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
38	श्री मनजीत सिंह	उप–निरीक्षक मत्स्य, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
39	श्री दिलवर सिंह	उप–निरीक्षक मत्स्य, बिलासपुर हि0प्र0।
40	श्री विजय कुमार	उप–निरीक्षक मत्स्य, होली, जिला चम्बा, हि0प्र0।
41	श्री प्रदीप कुमार	उप–निरीक्षक मत्स्य, मांदली, जिला ऊना, हि0प्र0।
42	श्री श्याम सिंह	उप–निरीक्षक मत्स्य, जगातखाना, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।
43	श्री शुभ करण	उप–निरीक्षक मत्स्य, बरनाली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
44	श्री नीलमणी	उप–निरीक्षक मत्स्य, हामनी, जिला कुल्लू, हि0प्र0।
45	श्री बलजीत सिंह	उप–निरीक्षक मत्स्य, भाखडा, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।
46	श्री लेख राज	उप–निरीक्षक मत्स्य, डाडासीबा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
47	श्री कर्म चन्द	उप–निरीक्षक मत्स्य, ट्राऊट फार्म सांगला, जिला किन्नौर, हि0प्र0।
48	श्री ज्ञान चन्द	उप–निरीक्षक मत्स्य, मत्स्य आवतरण केन्द्र, राजनगर जिला चम्बा, हि0प्र0।

एंगलिंग लेक पतलीकूहल, जिला कुल्लू हि0प्र0।

12वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2015–16 के लक्ष्य एवं प्राप्तियां

क्र. सं.	मद	12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य (2012–17)	वार्षिक योजना 2015–16 के लिए निर्धारित लक्ष्य	वार्षिक योजना 2015–16 की प्राप्तियां
1.	मत्स्य उत्पादन (मीट्रिक टन)	37605.00	10600.00	11798.72
2.	कार्प बीज उत्पादन (लाख)	1220.00	491.00	581.725
3.	ट्राऊट ओवा उत्पादन (लाख)	59.00	13.50	17.506

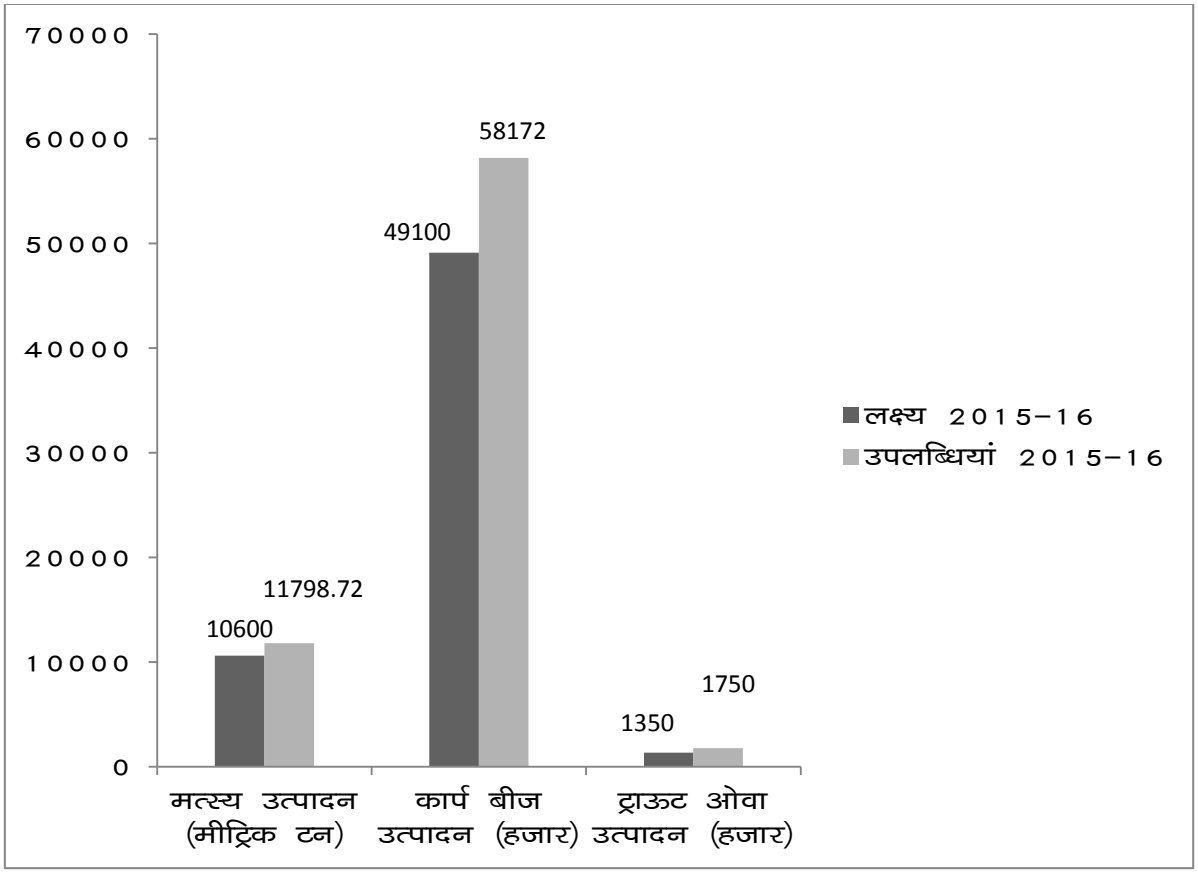

विभागीय उद्देश्य

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है:–

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्ध से मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी;
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना;
- जलाशय तथा नदीनालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, ट्राऊट व अन्य समशीतोषण प्रजातियों का बीज उत्पादन करना;
- राज्य में क्रीड़ा मत्स्य को बढ़ावा देना विशेषतः ट्राऊट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना;
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतू मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;
- मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार के सुअवसर प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दशा सुधारने में योगदान करना;
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना;
- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन;
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ौतरी हेतु नवीनतम उपयुक्त प्रजातियों के सम्वर्धन को बढ़ावा देना

नदीय मात्स्यिकी

जलाशय मात्स्यिकी

5

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- इस वर्ष राज्य में विद्यमान सभी जल स्त्रोतों से 10980.92 लाख रूपये की 11798.72 टन मछली का उत्पादन किया गया।

- विभागीय ट्राऊट फार्मों से इस वर्ष 63.45 लाख रूपये कीमत की 17.626 मीट्रिक टन खाने योग्य ट्राऊट का उत्पादन किया गया है। इन फार्मों से विभाग को कुल 120.969 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वर्ष निजी क्षेत्र में भी 1398.60 लाख रूपये कीमत की 399.60 मीट्रिक टन ट्राऊट मछली का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में रेनबो ट्राऊट के सफलतापूर्वक प्रजनन के परिणामस्वरूप न केवल कुल्लू जिला अपितु शिमला, मण्डी, कांगड़ा, किन्नौर व चम्बा जिलों में भी निजी क्षेत्र में ट्राऊट इकाईयों की स्थापना की गई है।

ट्राउट फार्म बरोट जिला मण्डी

- राज्य में कार्प मछली उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से अमूर कॉमन कार्प तथा हंगेरियन कामन कार्प (चम्पा–I व II) मछली के बीज का आयात किया गया था जिसका इस वर्ष भी सफलतापूर्वक प्रजनन करवा लिया गया है। प्रदेश के निचले क्षेत्रों में कार्प उत्पादन को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा।

- इस वर्ष विभाग द्वारा सभी संसाधनों से 465.59 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया गया है जोकि निर्धारित लक्ष्य (154.55) से 311.04 लाख रूपये अधिक है।

जलाशयों में मत्स्य बीज संग्रहण

- राज्य के प्रमुख जलाशयों में इस वर्ष 5472 (गोविन्दसागर 2550, पौंगडैम 2741, चमेरा 137 व रणजीत सागर 44) माहीगीरों को पूर्णकालीन स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। इन माहीगीरों द्वारा 12.18करोड़ रूपये मूल्य की 1293.348 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया है, जिससे मछुआरों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है।

- विभागीय कार्प फार्मों से वर्ष 2015–16 में 431.453 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है।
- राज्य में मत्स्य आखेट की गतिविधियों में कार्यरत 12,901 माहीगीरों को निःशुल्क जीवन सुरक्षा निधि के अन्तर्गत लाया गया है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के पंजीकृत मछुआरों/मत्स्य पालकों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने की स्थिति में 2.00 लाख रूपये का निशुल्क बीमा कवच, आंशिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में 1.00 लाख रूपये व चिकित्सिा उपचार हेतू 10,000 रूपये का प्रावधान किया गया है।
- इस वर्ष 4641 सक्रिय जलाशय माहीगीरों को बन्द आखेट मत्स्य सीजन के दौरान मु0 55.692 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- जलाशयों में कार्यरत माहीगीरों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य आखेट उपकरणों को होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु सभी मछुआरों को ''जोखिम निधि योजना'' के अन्तर्गत लाया गया है। इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत 5463 माहीगीरों ने 20/–रूपये की दर से इस कोष में कुल 109,260/–रूपये एकत्रित किए।
- मत्स्य पालन को राज्य में बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत 597 नए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
- मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अन्तर्गत 10.0353 हैक्टेयर नए क्षेत्रों को मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाया गया है और 11.63 हैक्टेयर पुराने तालाबों का सुधार किया गया।
- पहली बार विभाग के इतिहास में तालाबों में मछली पालन के विकास को लेकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक घटक (कम्पोनेंट) –नेशनल मिशन थ्रू प्रोटीन सप्लीमेंटस– (NMPS) के अधीन एक्वाकल्चर डिवैलपमेंट फार इंटेग्रेटिड एप्रोच नामक उपयोजना के अन्तर्गत निजि क्षेत्र में 30.00 लाख रू0 की लागत से 3 कार्प हैचरियां स्थापित की जा रही हैं। 1.20 करोड़ रू0 की लागत से 20 हैक्टेयर के नर्सरी तालाब, 4 करोड़ की लागत से

80 हैक्टेयर के मछली पालन तालाबों का निर्माण करवाया जा रहा है जिस पर 40 प्रतिशत अनुदान देय है। 90.00 लाख रू0 की लागत से दो फीड मिल प्लॉंट स्थापित किये जा रहे है तथा 92.00 लाख रू0 की लागत से मछली दोहन के बाद (Post Harvest Infrastructure) मछली को संभालने के लिए 2 बर्फ के कारखाने, 2 मोबाईल मछली विक्रय वाहन, डीप फ्रीजर तथा इंसूलेटिड बाक्स इत्यादि, नव पंजीकृत 2 मत्स्य पालक सहकारी सभाओं के माध्यम से स्थापित किये जा रहे हैं।

कार्प फार्म देवली (गगरेट) जिला ऊना

- कार्प फार्म नालागढ़ जिला सोलन व देवली (गगरेट) जिला ऊना कार्यशील कर दिये गये हैं तथा इन फार्मों पर वर्ष 2015–16 में मत्स्य प्रजनन व बीज उत्पादन का कार्य आरंभ कर दिया गया है।
- वर्ष 2015–16 में विभागीय वार्षिक योजना बजट 478.28 लाख रूपये था। इसमें से 65.28 लाख अनुसूचित जाति उप योजना के अधीन व मु0 22.09 लाख रूपये जन जातिय उप योजना के अधीन व्यय किये गये। कार्प फार्म कांगड़ा को सजावटी मछली केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा 30.00 लाख रूपये की लागत से दो सजावटी मछली इकाईयां स्थापित की जा रही हैं। कुल लागत में से 12.00 लाख रूपये राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद,15.00 लाख रूपये हि0प्र0 एक्वाकल्चर, फिशिंग एण्ड मारकेटिंग सोसाईटी, बिलासपुर तथा 3.00 लाख रूपये विभागीय बजट से व्यय किये गये।
- 84.60 लाख रूपये की लागत से कार्प फार्म देवली (गगरेट) जिला ऊना व कार्प फार्म सुलतानपुर जिला चम्बा में एक एक आहार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।
- राज्य के जनजातिय क्षेत्रों में मात्स्यिकी सम्बंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्धेश्य से 4.08 करोड़ रूपये की लागत से थला भरमौर जिला चम्बा में ट्राउट फार्म व 41.11 लाख रूपये की लागत से चूड़ी गांव (धरवाला) में एक्वेरियम हाउस कम म्यूजियम सैंटर चंबा जिला में स्थापित

किये जा रहे है। वर्ष 2015–16 में कुल कार्य का लगभग 65 प्रतिशत भाग पूरा कर लिया गया है।

- इस अवधि में विभाग द्वारा 740 मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया, 10 अधिकारियों को पजांब के लुधियाना जिले में नई ब्रीडिंग टैकनोलोजी में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। इसके अतिरिक्त विभाग के 4 अधिकारियों को एक्वाकल्चर इन न्यू एण्ड अन्डर यूटिलाईजड वाटर बौडीज स्कीम के तहत मुम्बई में केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षण सस्थान में प्रशिक्षण दिलवाया गया विभागीय ट्रेनिंग मैनुअल के अनुसार 11 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों व हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में प्रशिक्षण दिलवाया गया तथा इसके अतिरिक्त 49 कर्मचारियों को जागरूकता भ्रमण के लिए प्रदेश के भीतर व बाहर भी भेजा गया ।

- राज्य में वर्ष 2015–16 के दौरान 10 चेतना शिविरों का आयोजन करवाया गया जिसके अन्तर्गत 425 अभ्यार्थी लाभान्वित हुए। यह शिविर अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) के अन्तर्गत लगाए जाते हैं तथा एक दिन की अवधि के होते हैं।

6

प्रमुख वार्षिक गतिविधियां

वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित विभागीय गतिविधियां उल्लेखनीय रहीं:–

- माननीय वन एवं मत्स्य मंत्री ने (हि0प्र0) श्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने भरमौर के थला नामक स्थान पर 4 करोड़ 08 लाख रूपये से निर्मित होने वाले ट्राऊट मत्स्य फार्म की जो आधारशिला रखी थी वे कार्य प्रगति पर है।

माननीय वन एवं मत्स्य मंत्री थला पर ट्राऊट मत्स्य फार्म की आधारशिला रखते हुए।

माननीय वन एवं मत्स्य मंत्री (हि0प्र0) श्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने होली में 1 करोड़ 26 लाख रूपये की लागत से ट्राउट मत्स्य फार्म के जलापूर्ति कार्य की जो आधारशिला रखी थी वे कार्य भी प्रगति पर है।

- 27 सितम्बर 2014 को टाटा कंसलटैंसी सर्विस के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा0 एस0एन0ओगले विभागीय महाशीर फार्म मछियाल में महाशीर मछली के प्रजनन व इसके विकास हेतू इनसे समझौता के अधीन पशुधन के निरीक्षण हेतू आये।

- नवम्बर 2014 में निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य, श्री गुरचरण सिंह व डा0 ए. पी. शर्मा, निदेशक केन्द्रीय अर्न्तस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कोलकाता के बीच राज्य के जलाशयों में केज लगाने हेतु समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किये गये थे, के तहत गोगिन्द सागर जलाशय में

भाखडा नामक स्थान पर तथा पौंग जलाशय में सयोल खडड् नामक स्थान पर वर्ष 2015–16 में केज स्थापित किये गए।

- हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के देवली नामक स्थान पर स्थित मत्स्य बीज फार्म का 4.70 करोड़ रूपये की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस कार्य का शुभारंभ श्री राकेश कालिया, माननीय विधायक गगरेट विधान सभा क्षेत्र के कर कमलों द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 2014 को किया गया था।
- मार्च 2015 से मत्स्य पालन विभाग ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वाल्वो मोटर वोट की उपलब्धता को मत्स्य धन संरक्षण के लिए आरंभ कर दिया।

जलाशयों में संरक्षण हेतु नई मोटर बोट

इसके अतिरिक्त वर्ष 2015–16 में अनेक विशिष्ठ आगंतुकों ने निदेशालय व विभाग के विभिन्न केन्द्रों का दौरा किया जो निम्न प्रकार से हैं:–

श्रीमति मानसी सहाय ठाकुर, उपायुक्त बिलासपुर कार्प फार्म घागस के दौरे पर।

श्री नीरज भारती, मुख्य संसदीय सचिव (शिक्षा) पौंग जलाशय के मछुआरों को जाल वितरित करते हुए।

श्री बंबर ठाकुर, माननीय विधायक, सदर बिलासपुर के मछुआरों को जाल बांटते हुए।

सीआईएफटी कोचीन के प्रमुख वैज्ञानिक भाखड़ा के मछुआरों को टिप्स देते हुए।

श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, माननीय वन एवं मत्स्य मंत्री कार्प फार्म घागस का दौरा करते हुए।

डा0 वी के सिंह, निदेशक, क्ब्ष्ट्, मात्स्यिकी निदेशालय हि0प्र0 के दौरे पर ।

माननीय अध्यक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम श्री रामलाल ठाकुर जी निदेशालय में विभागीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

7

वार्षिक योजना 2015–16

हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के उपरान्त निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ आज देश के पहाड़ी राज्यों में एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है। प्रदेश में हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति आने के बाद अब प्रदेश नील क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। अतः इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) में 2633 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा वार्षिक योजना 2015–2016 में 478.38 लाख रूपये के संशोधित उद्व्यय से निम्नांकित योजना स्कीमें कियान्वित की गई हैं:

निर्देशन एवं प्रशासन

जलाशय संरक्षण

कार्प बीज उत्पादन

ट्राऊट बीज उत्पादन

कार्प बीज फार्मों का विस्तार

ताजा जलचर पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना

सामुदायिक तालाबों का निर्माण

जनजातीय उप योजना

मात्स्यिकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

8

निर्देशन एवं प्रशासन

प्रदेश में नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के समय से मछली पालन विभाग के प्रमुख कार्य, नदीय स्त्रोतों में परिग्रहण मात्स्यिकी को बढ़ावा देना था परन्तु राज्य में विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने के कारण मत्स्य उत्पादन के नए स्त्रोत, जलाशयों के तौर पर उत्पन्न हुए हैं जिनसे प्रदेश के कुल मत्स्य उत्पादन का 10.96 प्रतिशत मत्स्य उत्पादन हो रहा है। प्रदेश के निचले तथा ऊपरी क्षेत्रों में पन बिजली योजनाओं में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। प्रदेश के उपलब्ध संसाधनों का तेज गति से उपयुक्त विकास करने हेतु चलाई जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए विभाग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किए जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के मात्स्यिकी संसाधनों पर दोहन का दबाव यद्यपि दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है, परन्तु इनमें मत्स्य विकास व संरक्षण पर नियुक्त कर्मचारी बल की संख्या दिन–प्रतिदिन घट रही है। इस वर्ष कुल स्वीकृत पदों में लगभग 114 पद खाली चल रहे हैं।

गोबिंदसागर जलाशय में मछली ग्रहण में लगा मछुआरा

योजना का नाम	वर्ष 2015–16 का बजट प्रावधान	वर्ष 2015–16 में व्यय
निर्देशन एवं प्रशासन	10.39लाख	10.39लाख

9

प्रमुख विभागीय योजनाएं

(क) अन्तर्देशीय जलाशयों में मात्स्यिकी का प्रबन्ध एवं विकास :

(1) जलाशय संरक्षणः

प्रदेश के जलाशयों का प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में प्रमुख स्थान है। कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 10.96 प्रतिशत भाग जलाशयों से प्राप्त हो रहा है। इसी तरह यह संसाधन बांध विस्थापितों की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इन जलाशयों में मत्स्य उत्पादन की बढ़ौतरी के लिए 25–40 मि.मी. आकार का बीज संग्रहित किया जा रहा है। जिसके बहुत उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं ।

योजना का नाम	वर्ष 2015–16 का बजट प्रावधान	वर्ष 2015–16 में व्यय
जलाशय संरक्षण	2.00 लाख	2.00 लाख

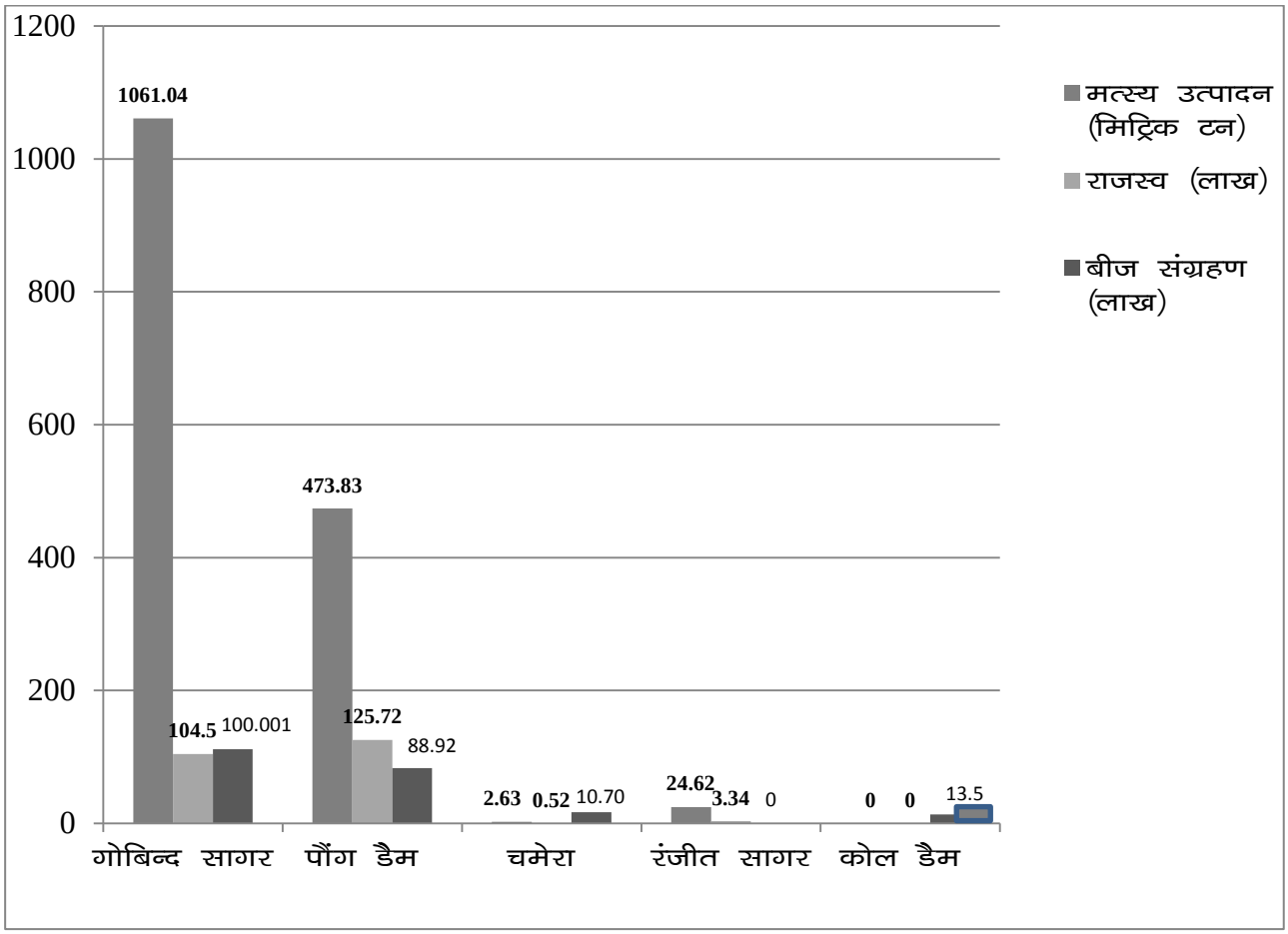

वर्ष 2015–16के दौरान मत्स्य उत्पादन एवं राजस्व प्राप्तियांः–

जलाशय का नाम	मत्स्य उत्पादन (मी0 टन)	राजस्व (लाखों में)	बीज संग्रहण (लाखों में)
गोबिन्द सागर	858.782	86.41	100.001
पौंग डैम	415.423	105.81	88.92
चमेरा	3.242	0.73	10.70
रणजीत सागर	15.901	2.18	0.00
कोल डैम	0.00	0.00	25.93
कुल	1293.348	195.13	225.551

(2) कार्प बीज उत्पादनः–

राज्य में पहले ही छः कार्प बीज फार्म, दयोली (बिलासपुर), अल्सू (मण्डी), नालागढ़ (सोलन), दयोली, गगरेट (ऊना), कांगड़ा तथा सुल्तानपुर (चम्बा) में स्थापित किये गये हैं। मत्स्य बीज की बढ़ती मांग तथा राज्य में बहुतायत से पनबिजली परियोजनाओं के तैयार हो जाने को ध्यान में रखते हुए उत्तम किस्म की मछली के बीज की आवश्यकता अत्याधिक बढ़ गई है। इस प्रयोजन से सभी फार्मों पर प्रबन्धन की दृष्टि से आवश्यक फेर–बदल किया जाना वांछित था।

कार्प मत्स्य बीज

उक्त के दृष्टिगत इन फार्मों पर वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मछलियों के बीज उत्पादन को सुनिश्चित् करने के लिए कार्प बीज केन्द्र दयोली (बिलासपुर) को हिमाचल प्रदेश मात्स्यिकी सम्बर्न्धन, दोहन और विपणन समिति के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है। मछली तथा मछली बीज उत्पादन के लिए मछली बीज केन्द्र नालागढ़ (सोलन) व दयोली गगरेट (ऊना) को निजि उद्यमियों से माह नवम्बर, 2011 में वापिस लिया गया। राज्य में 'कॉमन कार्प' मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'अमूर कार्प' मछली प्रजाति को हिमाचल के मत्स्य फार्म, अल्सू (मण्डी) में सफलतापूर्वक प्रजनन करवा लिया गया है ताकि इसके उत्पादन से मत्स्य पालकों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। प्रदेश में मत्स्य क्रीड़ा को रूचिकर बनाये रखने से पर्यटन विकास में वृद्धि की जानी संभव है। इसलिए प्रदेश के नदीय स्त्रोंतों में मत्स्य बीज संग्रहित करना अतिआवश्यक है। महाशीर मछली प्रदेश के जलों की मूल मछली है। अतः प्रदेश के जलों को महाशीर

मछली से भरपूर रखने के लिए इन जलों में फार्म से उत्पादित अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महाशीर मछली के क्षुद्रमीनों को संग्रहित किया जाना आवश्यक है। इस वर्ष विभागीय कार्प बीज फार्मों से मार्च 2016 तक 431.45 लाख बीज का उत्पादन किया गया है जिसमें से 11.224 लाख फ्राई राज्य के जलाशयों में संग्रहित की गई। विभागीय कार्प फार्मों, नालागढ़ (सोलन) व गगरेट (ऊना) से भी कार्प बीज उत्पादन आरंभ कर दिया गया है।

योजना का नाम	वर्ष 2015–16 का बजट प्रावधान	वर्ष 2015–16 में व्यय
कार्प बीज उत्पादन	85.51 लाख	85.00 लाख

इस योजना में दयोली (बिलासपुर), अल्सू (मण्डी), सुल्तानपुर (चम्बा) व कांगड़ा फार्मों पर पहले से प्रारम्भ किये गये विभिन्न विस्तारीकरण कार्य इस वर्ष भी चालू रहे। कार्प फार्म नालागढ़ जिला सोलन व देवली (गगरेट) जिला ऊना कार्यशील कर दिये गये हैं तथा इन फार्मों पर वर्ष 2014–15 से मत्स्य प्रजनन कार्यक्रम आरंभ कर दिया गया है।

कार्प फार्मों पर उत्पादित क्षुद्रमीनों का प्रतिशत विवरण इस प्रकार है:–

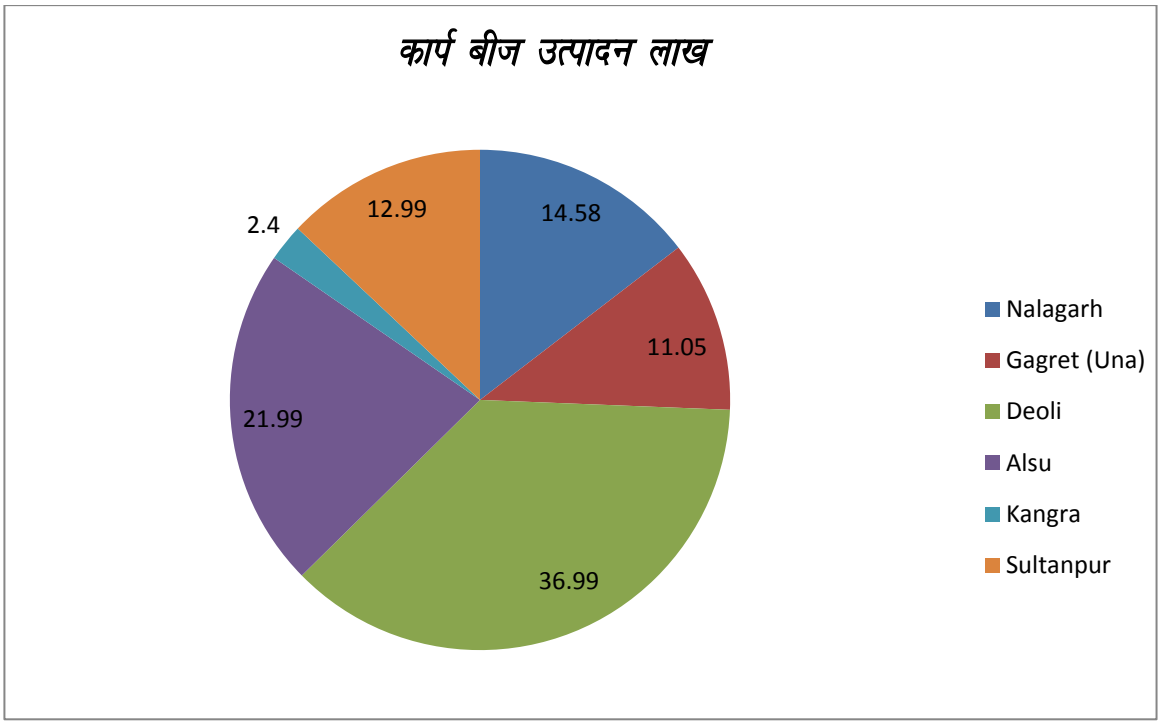

क्रमांक	कार्प फार्म का नाम	बीज उत्पादन (लाखों में)
1.	दयोली (बिलासपुर)	159.590
2.	अल्सू (मण्डी)	94.885
3.	कांगड़ा	10.368
4.	सुल्तानपुर (चम्बा)	56.040
5.	नालागढ़ (सोलन)	62.890
6.	गगरेट (ऊना)	47.680
	योग	390.09

(ख) क्रीड़ा मात्स्यिकी का प्रबन्धन एवं विकासः

विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से पुराने फार्मों के नवीनीकरण विस्तार एवं नए ट्राऊट फार्मों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत विद्युत परियोजनाओं से पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए ट्राऊट बीज का अधिक मात्रा में नदियों में संग्रहण किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रदेश में कार्यरत ट्राऊट मत्स्य कृषकों की मांग को भी इन फार्मों से पूरा किया जा रहा है। इसलिए विभागीय ट्राऊट फार्मों बरोट, सांगला, होली तथा धमवाड़ी के आधुनिकीकरण का कार्य आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव है। विभाग का मुख्य उद्देश्य इन फार्मों को इंडो–नार्वेजियन ट्राऊट फार्म पतलीकूहल के स्तर तक पहुंचाना है। इन फार्मों से उचित गुणवत्ता के बीज उत्पादन पर विभाग का विशेष ध्यान है ताकि निजी क्षेत्र में ट्राऊट पालन को बढ़ावा दिया जा सके। इस वर्ष 17.50 लाख ट्राऊट बीज का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के बीज फार्मों से हुआ है।

योजना का नाम	वर्ष 2015–16 का बजट प्रावधान	वर्ष 2015–16 में व्यय
ट्राऊट बीज उत्पादन	77.62 लाख	77.62 लाख

(ग) वाणिज्यिक ट्राऊट उत्पादनः

राज्य के ऊपरी क्षेत्रों के ठंडे क्षेत्रों में जल संसाधनों के दोहन तथा मत्स्य कृषि को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहायता से राज्य में ट्राऊट कृषि परियोजना की शुरूआत वर्ष 1989 में की गई थी जो वर्ष 1998 में पूर्ण हो गई है। जिसके मुख्य उद्देश्य आधुनिक ट्राऊट फार्म, हैचरी, रेनबो ट्राऊट, ओवा का उत्पादन एवं विकास, स्थानीय तौर पर मिलने वाले घटकों से कृत्रिम आहार का उत्पादन तथा परियोजना अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण योजना में से सभी को पूर्ण कर लिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं को पार करते हुए रेनबो ट्राऊट बीज व आहार के उत्पादन तकनीक को विकसित कर लिया है जोकि कुछ ही राज्यों के पास उपलब्ध है। इस तकनीक को मत्स्य कृषकों तक पहुंचाने में भी विभाग द्वारा कार्य किया गया है। जिसके कारण प्रदेश में ट्राऊट मत्स्य कृषकों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है तथा हिमाचल प्रदेश निजी क्षेत्र में ट्राऊट पालन आरम्भ कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। वर्ष 2015–16 में विभाग का मुख्य उद्देश्य मत्स्य बीज व आहार उत्पादन बढ़ाने तथा निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्राऊट मत्स्य कृषकों को जोड़ना रहा है।

वर्ष 2015–16 में निजी ट्राऊट मत्स्य पालकों के फार्मों से 399.60 मीट्रिक टन ट्राऊट, जिसका मूल्य 1398.60 लाख रूपये है, का उत्पादन किया गया है। विभागीय फार्मों से भी 120.96 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है जोकि आज तक का सर्वाधिक राजस्व है।

क्रम संख्या	ट्राऊट फार्म का नाम	मत्स्य उत्पादन (टनों में)	राजस्व प्राप्ति (लाखों में)
1.	पतलीकुहल (कुल्लू)	12.50	94.16
2.	बरोट (मण्डी)	2.00	11.19
3.	सांगला (किन्नौर)	1.00	6.78
4.	धमवाड़ी (शिमला)	1.895	7.90
5.	होली (चम्बा)	0.229	.93

	कुलः–	17.62	120.96

(घ) कार्प बीज फार्मों का विकास एवं रख–रखावः

यह तथ्य सर्वमान्य है कि हिमाचल प्रदेश की नदियों में गोल्डन महाशीर मछली क्रीड़ा मात्स्यिकी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ प्राकृतिक कारणों एवं बीज उत्पादन प्रणाली के विकसित न होने के कारण प्रदेश के जलों में इस प्रजाति की गुणात्मक और मात्रात्मक कमी हो रही है। प्रदेश के जलों में इस मछली की पुनर्स्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के उपयुक्त जलों में इस प्रजाति के फार्म पर उत्पादित अंगुलिकाओं का उचित मात्रा में संग्रहण किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला मण्डी के मछियाल नामक स्थान पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अर्न्तगत 505.89 लाख रूपये से अधिक बजट की लागत से एक महाशीर मछली बीज फार्म की स्थापना हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है।

योजना का नाम	**वर्ष 2015–16 का बजट प्रावधान**	**वर्ष 2015–16 में व्यय**
कार्प बीज फार्मों का विस्तार	9.66	9.66

(ङ) ताजा जलचर पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

कार्प फार्म देवली जिला बिलासपुर

मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है ताकि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाये जा सके। इसी दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों की स्थापना की गई है। जिसकी सहायता से प्रदेश के जल संसाधनों के दोहन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है।

योजना का नाम	**वर्ष 2015–16 का बजट प्रावधान**	**वर्ष 2015–16 में व्यय**
ताजा जलचर पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देना	11.00 लाख	11.00 लाख

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अन्तर्गत चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएंः

- नए मछली तालाब निर्माण हेतू, जिनमें स्थायी जलापूर्ति व्यवस्था का प्रावधान हो, 4.00 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से तालाब निर्माण के व्यय पर सामान्य जाति के लोगों को निर्माण के 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में किसानों को दिया जाता है। जिसकी अधिकतम सीमा 80.00 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए अनुदान की दर 25 प्रतिशत है तथा अनुदान की अधिकतम सीमा एक लाख रूपये प्रति हैक्टेयर है। इस वर्ष नए तालाबों के अन्तर्गत 10.0353 हैक्टेयर भूमि लाई गई है।

- पुराने जल क्षेत्रों (तालाबों) की मुरम्मत के लिए सामान्य जाति के लोगों को मु0 15,000 रूपये प्रति है0 की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मत्स्यपालकों के लिए यह राशि 18,750 रूपये प्रति है0 है। इस वर्ष पुराने तालाबों के अन्तर्गत 11.63 हैक्टेयर जल क्षेत्रों की मुरम्मत की गई।

- मत्स्य पालन अपनाने पर प्रथम वर्ष में मछली बीज, खाद, खुराक इत्यादि पर दिये जाने वाले व्यय में सामान्य जाति के लोगों को 20 प्रतिशत अथवा 10,000 रूपये प्रति है0, जो कम हो, अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के मत्स्य पालकों के लिए यह राशि 12,500 रूपये प्रति है0

मत्स्य आहार संयत्र

है। इस वर्ष प्रथम वर्षीय अनुदान के रूप में मु0 0.49 लाख रूपये वितरित किए गए।

- मछली आहार के लिए आहार संयत्र स्थापित करने की अनुमानित निर्माण राशि 7.50 लाख रूपये है जोकि भवन, मशीनरी व कलपुर्जों का खर्चा है, जिसमें 20 प्रतिशत की दर से कुल अनुदान 1.50 लाख रूपये दिया जाता है।
- ताजे पानी की मछली के बीज उत्पादन के लिए 10.00 मिलियन इकाई की क्षमता वाली हैचरी के लिए अनुमानित लागत राशि 16.00 लाख रूपये की 10 प्रतिशत की दर से 1.60 लाख रूपये अनुदान की सुविधा प्राप्त है।
- सजावटी मछली पालकों के लिए हैचरी सहित समेकित यूनिटों के लिए 1.50 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(च) अनुसूचित जाति उप योजनाः

मत्स्य पालन विभाग सभी ग्रामीणों विशेषकर अनुसूचित जाति से सम्बन्धित जन समुदाय के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, उनका आर्थिक व सामाजिक पुनः स्तर ऊंचा करने में विशेष योगदान प्रदान करता है। व्यवसायिक मत्स्य पालन समाज के सभी कमजोर वर्गो की मूल आवश्यकता, उत्पादन तथा रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम है। इस को मद्देनजर रखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में 200.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है तथा वार्षिक योजना 2015–16 में 65.37 लाख रूपये के संशोधित उद्व्यय से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं।

(i) सामुदायिक तालाबों का निर्माणः–

व्यक्तिगत तौर की अपेक्षा सामुदायिक तौर पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि अधिक से अधिक मत्स्य कृषकों को मत्स्य गतिविधियों से जोड़ा जा सके तथा आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को एक मंच पर सामूहिक कार्य हेतू प्रेरित किया जा सके। यह योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जीर्ण–शीर्ण अवस्था

में पड़े तालाबों के पुनर्निर्माण/मुरम्मत तथा सरकारी भूमि पर नये तालाबों के निर्माण के लिए आरम्भ की गई है। अनुसूचित जाति बहुल्य गावों में इस प्रकार के तालाबों का निर्माण करवाकर उसी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मत्स्य पालन हेतू पट्टे पर दिया जाता है।

योजना का नाम	**वर्ष 2015–16 का बजट प्रावधान**	**वर्ष 2015–16 में व्यय**
सामुदायिक तालाबों का निर्माण (including RKVY)	8.40 लाख	8.40 लाख

(ii) विज्ञापन एवं प्रचारः–

मत्स्य पालन का कार्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है, जिसमें अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग होते हैं जोकि विभागीय योजनाओं से अधिक जागरूक नहीं होते, उन तक विभागीय योजनाओं को पहुंचाने हेतु विभाग प्रयासरत है। वर्ष 2015–16 में इस मद में 1.60 लाख रूपये का बजट प्रावधान था,जो पूर्ण व्यय कर दिया गयाहै।

(iii) कार्य बीज फार्मो में पोली हाऊस का निर्माणः–

मछुआरों हेतू प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

मत्स्य बीज फार्म, अल्सू जिला मण्डी तथा दयोली (धाधस) जिला बिलासपुर में 03.03 बुड बैंक तालाबों में भारतीय मेजर कार्प प्रजाति की मछली के ब्रुड स्टॉक हेतु प्रजन्न के लिए पानी का तापमान अनुकूल बनाए रखने के लिए पोली हाऊस तथा एरियटर की स्थापना हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के लिए 63.00 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है।

(iv) अन्य प्रभारः–

अनुसूचित जातिय बाहुल्य गावों में मत्स्य पालन हेतू अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में मत्स्यपालन हेतू जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक दिवसीय जागरूकता/प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2015–16 में इस

मद में 1.00 लाख रूपये बजट आबंटित था जिसे 100 प्रतिशत व्यय करके 425 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जागरूक किया गया।

बैक यार्ड मत्स्य पालन तालाब

(v) जलाश्य मछुआरों हेतू गिल जाल अनुदान (आर0के0वी0वाई0)

प्रदेश के जलाश्यों के मछुआरों के लिए गिल जाल एक प्रमुख मछली पकड़ने का उपकरण है। इसलिए इस योजना के अधीन गिल जाल क्रय करने हेतू वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2015–16 में 25 प्रतिशत व्यय के साथ 1.50 लाख रूपये अनुमोदित किये गये तथा 150 मछुआरों को अनुदान प्रदान किया गया।

(vi) बैक यार्ड फिश फार्मिंगः–

इस योजना के अन्तर्गत घरों के पिछवाड़े लाभार्थियों को 6X6X2 घनमीटर बैक यार्ड मछली तालाब बनाने हेतू वित्तीय अनुदान दिया जाता है। एक इकाई की पूंजीगत व्यय राशि 1.44 लाख रूपये है तथा सामान्य वर्ग को 25प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को भी 25 प्रतिशत की दर से सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2015–16 में 7.20 लाख रूपये व्यय कर के 20 बैक यार्ड फिश फार्मिंग यूनिटों का निर्माण किया गया।

(छ) जनजातिय क्षेत्र उप योजनाः

हिमाचल प्रदेश के जन जातिय क्षेत्र में किन्नौर, लाहौल व स्पिति तथा चम्बा जिले के भरमौर व पांगी क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के पूर्ण क्षेत्रफल का 42.4 प्रतिशत है। जन जातिय क्षेत्र में सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाव के उपरी भाग आते हैं। जिनमें ट्राऊट पालन की सम्भावनाएं विद्यमान हैं। इन क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें जैसे चंद्रताल (4000 मीटर), माने (4300 मीटर), नाको (4100 मीटर) किरगौर (3500 मीटर) इत्यादि हैं। इन झीलों में ट्राऊट पालन आरंभ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जनजातिय क्षेत्र में 5 एकीकृत जनजातिय परियोजनाओं में से केवल एकीकृत जनजातिय विकास परियोजना किन्नौर तथा लाहौल व स्पिति के लिए ही तीन मत्स्य अधिकारियों के पद स्वीकृत

हैं परन्तु किन्नौर के अतिरिक्त अन्य दोनों स्थानों पर पद रिक्त चल रहे हैं। एकीकृत जनजातिय विकास परियोजना भरमौर में मत्स्य अधिकारी नियुक्त नहीं हैं। पांगी क्षेत्र में भी मात्स्यिकी विभाग का कोई कर्मचारी तैनात नहीं है। जनजातिय क्षेत्र में मत्स्य विकास को तकनीकी कर्मचारियों की कमी की वजह से वांछित गतिशीलता प्राप्त नहीं हो सकी है। इस योजना के अन्तर्गत चम्बा जिला के होली में ट्राऊट फार्म स्थापित किया गया है। इसलिए विभाग हर वर्ष अपने वार्षिक योजनाओं में प्रावधान रखता है परन्तु इन प्रस्तावों को अभी तक सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है। इस वर्ष के दौरान ट्राऊट बीज फार्म सांगला के उचित प्रबन्ध पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि यह फार्म वास्पा एवं किन्नौर जिला की अन्य छोटी नदियों की ट्राऊट बीज की आवश्यकता को पूरा कर सके। सांगला फार्म के जलक्षेत्र में विस्तार का कार्य जारी रहा। चम्बा जिला के जनजातिय क्षेत्र के जलों में ट्राऊट बीज की मांग को पूरा करने के लिए भरमौर क्षेत्र के होली स्थान पर एक ट्राऊट बीज फार्म की स्थापना की गई है तथा थला नामक स्थान पर एक नया ट्राऊट फार्म निर्माणाधीन है। इस वर्ष इस स्कीम में केन्द्र सरकार से विशेष सहायता के रूप में स्वीकृत गैर जनजातिय क्षेत्रों में रह रहे जनजातियों से सम्बन्धित इच्छुक मत्स्य पालकों के लिए 2.00 लाख रूपये ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों तथा 9.26 लाख रूपये रेसवेज़ के निर्माण हेतू सहायता अनुदान के रूप में वितरित किये गये जिसके परिणामस्वरूप 12 मत्स्य किसानों को 8.625 लाख रूपये की अनुदान सहायता से लाभान्वित करवाया गया।

योजना का नाम	**स्वीकृत संशोधित बजट**	**वर्ष 2015–16 में व्यय**
जनजातिय उप योजना	9.26 लाख	8.625 लाख

(ज) मात्स्यिकी में आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देना:

दसवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002–03 में **'मात्स्यिकी में आकड़ों के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देना'** नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का शुभारम्भ हुआ।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में इस योजना को शुरू करने हेतू विभाग को सितम्बर, 2003 में स्वीकृति प्रदान की है। विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित करके उन्हें भरे जाने की औपचारिकताएं मार्च, 2004 को पूर्ण हो पाई जिसके साथ ही राज्य में यह योजना प्रारम्भ हो गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य से सम्बन्धित मात्रात्मक एवं गुणात्मक सूचनाओं को वैज्ञानिक आधार पर आधारित तकनीक द्वारा एकत्रित करना तथा किसी क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन की क्षमताओं का आंकलन करना है। इस योजना द्वारा मात्स्यिकी के कार्य में जुड़े लोगों के आर्थिक स्तर का भी विश्लेषण किया जाना है तथा वर्ष 2013–14में इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर द्वारा संकलन (Compilation) करने का कार्य इस वर्ष जारी रहा।

योजना का नाम	**वर्ष 2015–16 का बजट प्रावधान**	**वर्ष 2015–16 में व्यय**
मात्स्यिकी में आंकड़ो के आधार को सुदृढ़ करना तथा सूचना प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देना1	22.00 लाख	.74 लाख

(झ) मत्स्य अनुसंधान 'हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय':

मात्स्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को मत्स्य अनुसंधान हेतू वर्ष 1981–82 से अनुदान प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्याालय को प्रदेश के विविध जलवायु के अनुरूप मत्स्य पालन हेतू तकनीक विकसित कर मछली रोगों की रोकथाम पर अनुसंधान का दायित्व दिया गया है, अनुसंधान कार्य एक लम्बी प्रक्रिया है। अतः अनुदान प्रणाली आगामी वर्षो में भी जारी रखी जाएगी। इस वर्ष 3.00 लाख रुपये के प्रावधान से पूर्ण राशि विश्वविद्यालय को मार्च, 2016 तक अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

10

विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं

(क) माहीगीर समूह दुर्घटना बीमा योजना :

प्रदेश के मछुआरों को मछली का शिकार करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या अपंग हो जाने पर क्रमशः उनके आश्रितों या उनके अपने जीवनयापन के लिए इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना जलाशयों में गिल जाल तथा नदियों में फैंकवा जाल से मत्स्य ग्रहण करने वाले समस्त माहीगीरों के लिए लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रीमियम को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में अदा करने का प्रावधान है। इसलिए माहीगीर को प्रीमियम के रूप में कोई भी राशि अदा नहीं करनी है। बीमित माहीगीर की मृत्यु अथवा 100प्रतिशत स्थाई विकलांगता की दशा में उसे/उसके आश्रितों को 2,00,000/– रूपये तथा आंशिक स्थाई अपंगता की दशा में उसे 1,00,000/– रूपये दिये जाने का प्रावधान है।इसके अतिरिक्त चिकित्सा उपचार हेतू 10,000/– रूपये भी प्रदान किये जाते हैं।वर्ष 2015–16 के दौरान इस योजना के कार्यान्वन में 12901 मछुओं की बीमा सुरक्षा पर मु0 1,30,751/–रू0 का राज्य भाग तथा इतनी ही राशि केन्द्र भाग के रूप में व्यय की गई।

(ख) मछुआरा जोखिम निधि योजनाः

मछुआरों को मछली आखेट करते समय कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने जालों, किस्तियों और तम्बुओं से

हाथ धोना पड़ता है। मछुआरों को उक्त आपदाओं के कारण हुए नुकसान की एक सीमा तक भरपाई किये जाने के लिए **''मछुआरा जोखिम निधि''** की स्थापना की गई है। प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त संयत्रों की मुरम्मत हेतू इन संयत्रों के कुल मूल्य का 33 प्रतिशत भाग इनको मुरम्मत हेतू इस जोखिम निधि से आर्थिक सहायता के रूप में अदा किया जाता है। इस निधि में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्येक सदस्य मछुआरा अनुज्ञाप्ति पत्र प्राप्त करते समय छः रूपये जमा करवाएगा और इस प्रकार से जमा कुल राशि के बराबर की राशि प्रदेश सरकार द्वारा जमा करवाने का प्रावधान है। वर्ष 2015–16 के दौरान किसी भी मछुआरे को राहत राशि उपकरणों की मुरम्मत हेतू स्वीकृत नही की गई।

(ग) जलाशय मछुआरों के लिए अशंदायी बन्द सीजन राहत योजनाः

प्रदेश के समस्त जलों में मछली को प्राकृतिक संबर्न्धन द्वारा वशंवृद्धि करने के लिए राज्य में 01 जून से 31 जुलाई तक की अवधि को वर्जित काल के रूप में रखा गया है तथा इसमें मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। यह वर्जित काल राज्य के सभी सार्वजनिक जलों में लागू है। इसलिए राज्य के जलाशयों में कार्यरत पूर्णकालिक मछुआरे इस बन्द सीजन के समय में बेरोजगार हो जाते हैं। जलाशय के इन मछुआरों को बन्द सीजन की इस 2 मास की अवधि में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत इस अशंदायी आर्थिक सहायता स्कीम की स्थापना की गई है। इस स्कीम में वित्तीय संसाधनों के रूप में जलाशयों में कार्यरत और स्कीम में सम्मिलित प्रत्येक मछुआरा प्रत्येक वर्ष अगस्त से मई 10 महीनों तक अपनी मत्स्य सहकारी सभा के माध्यम से 60/–रूपये प्रतिमाह अपना अशंदान इस कोष में जमा करवाता है। इस प्रकार से जमा कुल 1800/–रूपये में केन्द्रीय सरकार 600/–रूपये प्रति माहीगीर और प्रदेश सरकार 600/–रूपये अपना अशंदान जमा करते हैं। इस प्रकार से एकत्रित कुल अशंदान 1800/–रूपये प्रति माहीगीर को दो माह के मछली पकड़ने के बंद सीजन में कमशः 900–900/–रूपये वितरित किये जाते हैं। इस स्कीम में केवल वही माहीगीर लाभान्वित किये जाते हैं जो किसी प्रकार के अवैध मत्स्य आखेट

में संलिप्त नहीं होते हैं। वर्ष 2015–16 में 4641 मछुआरों को इस योजना के अधीन 55.692 लाख रूपये वितरित किये गये।

(घ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः

वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित उपलब्धियां रही

क्र0 सं0	**योजना का नाम**	**बजट (लाखों में)**	**व्यय (लाखों में)**	**लाभार्थियों की संख्या/इकाई**
1	बैक यार्ड मछली तालाब का निर्माण	43.20	43.20	120
2	जलाशय मछुआरों को गिल जाल आबंटन	5.14	5.14	514
कुल योगः–		**48.34**	**48.34**	634

प्रदेश में एक्वाकल्चर विकासः–

(ङ) नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक घटक (कम्पोनेंट) के अधीन एक्वाकल्चर डिवैलपमेंट थ्रू इंटेग्रेटिड एप्रोच नामक उपयोजना के अन्तर्गत प्रमुख उपलब्धियांः–

1. एन0एम0पी0एस0 के अन्तर्गत राज्य में 80 हैक्टेयर नया जलक्षेत्र विकसित किया जा रहा है रत्योड़ (नालागढ़) जिला सोलन व कथोडकलां (अंब) जिला उना में दो एक्वाकल्चर फिश फार्मर सोसाईटीयां पंजीकृत करवाई गई है, जिनका प्रमुख उद्वेश्य इन तालाबों से उत्पादित मछली का दोहन पश्चात रख रखाव व विपणन होगा। मछली के रख रखाव हेतू मूल भूत सुविधायें जैसे कि बर्फ का कारखाना, प्रशीतन मोबाईल वैन, इंसुलेटिड डिब्बे इत्यादि विकसित करने के लिए प्रत्येक सहकारी सभा को 46.00 लाख रूपये की वित्तिय सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रधान सचिव मत्स्य हि0प्र0 ऊना में एनएमपीएस के तालाबों का निरिक्षण करते हुए

बर्फ का कारखाना

2. रू0 84.60 की लागत से कार्प फार्म देवली (गगरेट) जिला ऊना व कार्प फार्म सुलतानपुर जिला चम्बा में एक एक आहार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

मत्स्य आहार संयन्त्र

3. एन0एम0पी0एस0 के अधीन रू0 30.00 लाख रूपये की 100 प्रतिशत वित्तिय सहायता से निजि क्षेत्र में 3 कार्प हैचरियां स्थापित की जा रही हैं

। इनमें से जिला ऊना में एक हैचरी का कार्य सम्पन्न हो चुका है जबकि नालागढ़ (जिला सोलन) व जिला सिरमौर में हैचरियां निर्माणाधीन हैं।

कार्प हैचरी

11

प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार

- **ई–समाधानः**मत्स्य विभाग में ई–समाधान प्रणाली को आरम्भ करने के उपरान्त वर्ष में ई–समाधान के अन्तर्गत जो शिकायतें प्राप्त हुई उन सभी का निपटारा कर दिया गया है।

- **ई–सर्विसः**कार्यालय प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से विभाग में ई–सर्विस प्रणाली भी आरम्भ कर दी गई है व इस कार्य को शत्–प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

- **ई–लाईसैंसः** इस सेवा से राज्य तथा राज्य के बाहर व विदेशों से आने वाले एंगलर पर्यटकों को उनके घर पर ही बिना किसी असुविधा के लाईसैंस उपलब्ध करवाया जाता है।

12

12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 तथा वर्ष 2015–16 के वित्तीय प्रावधान एवं निर्धारित लक्ष्यः

(i) वित्तीय प्रावधानः

क्रमांक	योजना का नाम	12वीं पंचवर्षीय योजना के वित्तीय प्रावधान (राशि लाख में)	वार्षिक योजना 2016–17 के वित्तीय प्रावधान (राशि लाख में)
1.	निदेशन एवं प्रशासन	194.22	32.39
2.	जलाशय मात्स्यिकी का विकास एवं प्रबन्ध		
	(a)जलाशय संरक्षण	115.90	2.00
	(b)मत्स्य बीज उत्पादन	251.57	85.51
3.	क्रीड़ा मात्स्यिकी का विकास एवं रख–रखाव (ट्राऊट बीज फार्म)	347.30	72.62
4.	कार्प बीज फार्मो का विकास एवं रख–रखाव	124.31	3.10
5.	प्रशिक्षण एवं विस्तार	9.30	1.58
6.	ताजे जल में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना	..	..
	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम	74.00	8.00
7.	800– अन्य व्यय		
	(a) मछुआरों का रिस्क फण्ड	13.50	2.20

	(b) मछुआरों का कल्याणSCSP(CP)	85.50	7.00
	(c) मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना	9.50	1.20
8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1014.90	126.00
9	अन्तःस्थलीय मत्स्य सांख्यिकी का प्रबन्ध एवं विकास (केन्द्रीय योजना)	80.00	0.01
10	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण(केन्द्रीय योजना)	100.00	0.01
11	मछुआरों का कल्याण (केन्द्रीय योजना)	80.00	0.01
	योगः–	**2500.00**	**341.72**
12	अनुसूचित जाति उप योजना	200.00	79.00
13	जनजातिय उप योजना	193.00	35.50
	कुल योग :–	**393.00**	**114.5**

(ii) निर्धारित लक्ष्य :

क0 सं0	**मद**	**इकाई**	**12वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य**	**वार्षिक योजना 2015–16 के लिए निर्धारित लक्ष्य**
1.	मत्स्य उत्पादन	मीट्रिक टन	37,605.00	10600.00
2.	कार्प बीज उत्पादन	लाख	1220.00	435.00
3.	ट्राऊट ओवा उत्पादन	लाख	59.00	13.50

1 3

सूचना का अधिकार

हिमाचल प्रदेश सरकार, मत्स्य विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 खण्ड 4 (1)(बी) के अन्तर्गत सूचना

(i) विभाग के कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण

विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत हैः–

- प्रदेश में मछली पालन योग्य जलों के उचित प्रबन्ध से मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी;
- खुले जल में प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से जलाशय मत्स्य पालन को विकसित करना;
- जलाशय तथा नदीनालों में बीज संग्रहण कार्यक्रम में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय तथा विदेशी मछलियों जैसे महाशीर, ट्राऊट व अन्य समशीतोषण प्रजातियों का बीज उत्पादन करना;
- राज्य में क्रीडा मत्स्य को बढ़ावा देना, विशेषतः ट्राऊट का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना है;
- राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार हेतू मछुआरों एवं ग्रामीण युवकों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;
- मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार के सुअवसर प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दशा सुधारने में योगदान करना;
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना;
- मत्स्य सहकारी सभाओं के अन्तर्गत कार्यरत मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन;
- मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी हेतू नवीनतम उपयुक्त प्रजातियों के सम्वर्धन को बढ़ावा देना

कर्तव्य

ऊपर कहे गये विभाग के सभी कार्यों के लिए योजनाओं की व्यवस्था करना और हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 1979 को लागू करना।

(ii) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्यः

अधिकारियों की शक्तियांः–

अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या हिमाचल प्रदश वित्तीय नियम खण्ड–I और खण्ड–II में की गई है। अन्य कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य कार्यालय पुस्तिका में समय–समय पर संसोधन कर विचार–विमर्श करके हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार कार्यालय पुस्तिका में जारी किये जाते हैं। वित्त विभाग के पत्र संख्या–Fin-F(A)-(II)-11/2004 Dated 3rd June2014, के अनुसार वित्त विभाग ने हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग में निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारी को नियुक्त कर दिया है।

कं. सं.	अधिकारों के प्रकार	अधिकारी जिसको अधिकार सौंपा गया है।	अधिकार की सीमा
		कार्यालय खर्च	
1.	कार्यालय मशीनों व उपकरणों की देखभाल	समस्त उप–निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	एक समय पर 3000/– रूपये तक की एक वस्तु व प्रति वर्ष 10000/– रूपये तक की सीमा
2.	कार्यालय मशीनों व उपकरणों की खरीद	समस्त उप–निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	20,000/– रूपये प्रति वर्ष की सीमा तक 5000/– रूपये तक की प्रत्येक वस्तु की खरीद

3.	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत सेवा प्रदाता को सेवाओं के बाहरी स्त्रोत से सेवाएं प्रदान करने हेतू भुगतान करना	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण अधिकार शशर्तबजट उपलब्धता व सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति
4	स्थानीय स्टेशनरी की छोटी–मोटी खरीद	समस्त उप–निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	1. केवल आकस्मिक मामलों में 500/–रूपये तक की प्रत्येक खरीद के लिए 3000/–रूपये प्रति वर्ष की सीमा तक खरीदने का अधिकार, 2. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से से रू0 5000/–तक की लेखन सामग्री का क्रय।

1. मोटर वाहन

1.	मुरम्मत, अतिरिक्त सामान और उपयोग करने योग्य साधनों के लिए	समस्त उप–निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	एक समय पर 5000/–रूपये तक का खर्च तथा 20,000/– रूपये तक सीमा तक खर्च करने का अधिकार
2.	पी.ओ.एल. के	समस्त	समय–समय पर हिमाचल

	लिए	उप–निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशों के अतिरिक्त विषय पर पूर्ण अधिकार

2. सामग्री और आपूर्ति

1.	मत्स्य आहार, मछली पकड़ने के उपकरण और अन्य उपकरण	समस्त उप–निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	विभागीय स्थायी समीति द्वारा अनुमोदित दरों पर 20.00 खर्च करने का अधिकार।

3. रख–रखाव

1.	इस मद में मुरमम्त व रख–रखाव में हुए व्यय को शामिल किया गया है। जिसमें मजदूरी व सामग्री भी सम्मिलित है।	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	आपूर्ति आदेश से पूर्व सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत एक मुश्त 20 हजार रू0 तक तथा 40 हजार रूपये प्रति वर्ष तक सीमित।
		समस्त उप–निदेशक मत्स्य समस्त सहायक निदेशक मत्स्य	एक समय पर 2500/– रूपये तक तथा 10,000/– रूपये प्रति वर्ष सीमित है

4. मशीनरी और उपकरण

1.	गैर उपभोगीय वस्तुएं जैसे फार्मों में प्रयोग होने वाले मछली जाल, अन्य संयत्र व उपकरण	समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी	प्रशासनिक विभाग/ विभागाध्यक्ष के स्तर पर विभागीय स्थाई समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर 20 लाख रूपये व्यय करने का अधिकार

नोटः– *उपरोक्त सभी वित्तीय अधिकार बजट प्रावधानों/उपलब्धता के अधीनस्थ प्रदान किये गये हैं।*

अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य

निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश

- विभाग का मुख्या
- राज्य में अन्तदेर्शीय मात्स्यिकी, जलाशय मात्स्यिकी और शीत जल एक्वाकल्चर के विकास और प्रबन्धन के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाना
- मछुआरों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना मछुआरों की सहायता करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजनाएं बनाना, आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार और विकासशील योजनाओं की व्यवस्था करना और कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय मन्त्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना
- राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करना

- ❖ योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए विभाग के नियन्त्रण अधिकारियों के साथ बैठक रखना
- ❖ बजट और लक्ष्यों का आबंटन
- ❖ चल रहे नये कार्यों/योजनाओं/परियोजनाओं का निरीक्षण करना
- ❖ आर.टी.आई. के अन्तर्गत मत्स्य विभाग का पहला appellant अधिकारी।

उप–निदेशक मत्स्यः

- ❖ विभिन्न प्रकार की योजनाओं और स्कीमों को बनाने में निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की सहायता करना
- ❖ निदेशक मत्स्य के द्वारा चिन्हित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करना
- ❖ उनके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मत्स्य स्कीमों के बजट पर नियन्त्रण
- ❖ कार्यालय में कार्य कर रहा आहरण एवं वितरण अधिकारी स्टाफ उनके अधीन
- ❖ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तकनिकी और प्रशासनिक नियन्त्रण और स्टाफ के कार्य पर उनका नियन्त्रण
- ❖ समीक्षा बैठकों में भाग लेना
- ❖ सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त

सहायक निदेशक मत्स्यः

- ❖ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तकनिकी/प्रशासनिक नियन्त्रण तथा स्टाफ के कार्य का नियन्त्रण
- ❖ मत्स्य निदेशक के द्वारा चिन्हित योजनाओं और स्कीमों को कार्यान्वित करना
- ❖ अपने अधीन विभिन्न प्रकार की मत्स्य योजनाओं का बजट पर नियन्त्रण
- ❖ कार्यालय में कार्य कर रहा स्टाफ उनके अधीन
- ❖ समीक्षा बैठकों में भाग लेना
- ❖ पन विद्युत परियोजनाओं का उनके क्षेत्रों पर प्रभाव का मूल्यांकन तथा निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना
- ❖ मछली पालकों को उच्च गुणवता की मछली बीज आपूर्ति करना और तकनिकी सहायता देना
- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 1979 को लागू करना
- ❖ मछुआरों को लाईसैंस जारी करना

- आर.टी.आई. के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त।

वरिष्ठ मत्स्य अधिकारीः

- अधीन क्षेत्र में आने वाले फार्मों के ब्रुड स्टॉक का प्रबन्धन, प्रजनन तथा आहार का ध्यान रखना
- मत्स्य पालकों की मांग के अनुसार उन्हें मत्स्य बीज विक्रय करना
- कम्पोनैन्ट प्लान के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करना
- मत्स्य पालकों के विभिन्न Fish Farmers Development Agencyतथा उपदान मसलों को क्रियान्वित करना
- विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायक निदेशक मत्स्य की सहायता करना
- इनके न्याय क्षेत्र में आने वाली नदियों के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने हेतू लाईसैंस जारी करना
- अवैध मत्स्य आखेट पर जुर्माना लगाना
- मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा तकनिकी सहायता मुहैया करना
- आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत सहायक जन सूचना अधिकारी का दर्जा दिया गया है।

मत्स्य अधिकारीः

- अधीन क्षेत्र में आने वाले फार्मों के ब्रुड स्टॉक का प्रबन्धन, प्रजनन तथा आहार का ध्यान रखना
- मत्स्य पालकों की मांग के अनुसार उन्हें मत्स्य बीज विक्रय करना
- अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी, जलाशय मात्स्यिकी तथा शीत जल एक्वाकल्चर का प्रबन्धन एवं विकास
- मत्स्य पालकों के विभिन्न एफ.एफ.डी.ए. तथा उपदान मसलों को क्रियान्वित करना
- विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायक निदेशक मत्स्य की सहायता करना

- ❖ इनके न्याय क्षेत्र में आने वाली नदियों के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने हेतू लाईसैंस जारी करना
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट पर जुर्माना लगाना
- ❖ मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा तकनिकी सहायता मुहैया करना
- ❖ आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत सहायक जन सूचना अधिकारी का दर्जा दिया गया है।

उप–निरीक्षक मत्स्यः

- ❖ अवतरण केन्द्रों पर आने वाली मछली का विवरण रखना
- ❖ मत्स्य अधिनियम व नियमों को लागू करना
- ❖ मत्स्य अधिकारी तथा वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी को मत्स्य फार्मो या हैचरी के प्रबन्धन में सहायता करना।

क्षेत्रीय सहायक/मत्स्यजीविः

- ❖ नदीय व मात्स्यिकी का संरक्षण
- ❖ अवैध मत्स्य आखेट व विक्रय को रोकना
- ❖ विभागीय एक्वाकल्चर योजनाओं का विस्तार कार्य करना
- ❖ मत्स्य फार्मो का रख–रखाव, जलापूर्ति, आहार, मछली की विक्री, टैंकों या रेसवे की सफाई अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य।

फार्म सहायकः

- ❖ मत्स्य पालन पर मत्स्य धन की देख–रेख
- ❖ मछली के आहार एवं प्रजनन में सहायता
- ❖ मछली बीज इत्यादि की पैंकिंग
- ❖ फार्मो पर नियुक्त मत्स्यजीवियों अथवा क्षेत्रीय सहायकों के कार्यो का निरीक्षण।

विभागीय आहार संयन्त्र मकैनिकः

- ❖ विभागीय आहार संयन्त्र को चलाना जो ट्राऊट फीड उत्पादन हेतू प्रयोग की जाए
- ❖ आहार संयन्त्र की छोटी–मोटी मुरम्मत।

पम्प ऑपरेटर/हैल्परः

- ❖ फार्म की जलापूर्ति बनाये रखने के लिए पानी के पम्पों को सुचारू रूप से चलाना
- ❖ फार्म की मशीनरी को चलाने के लिए मकैनिक की सहायता करना।

अधीक्षक ग्रेड–1ः

- ❖ प्रशासनिक शाखा से सम्बन्धित सभी कार्यों का निरीक्षण
- ❖ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वाहन चालक सहित कार्य नियुक्त करना तथा इनके कार्यों का निरीक्षण करना
- ❖ यह सुनिश्चित् करना कि सभी डीलिंग हैण्ड तथा डायरिस्ट सभी रजिस्टरों को बनाये रखें तथा समय में अपडेट करते रहें
- ❖ विभिन्न शाखाओं तथा उच्च अधिकारियों के बीच आने जाने वाली डाक व फाइलों पर नजर रखना
- ❖ समय बद्ध मामलों अथवा कोर्ट मामलों पर समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित् करना
- ❖ यह सुनिश्चित् करना कि शाखा की सभी पुस्तिकाओं, नियम, निर्देश, गार्ड नस्ति तथा पूर्व रजिस्टरों को सम्भालकर रखा जाए।

अधीक्षक ग्रेड–IIः

- ❖ समय बद्ध मामलों अथवा कोर्ट मामलों पर समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित् करना
- ❖ यह सुनिश्चित् करना कि शाखा की सभी पुस्तिकाओं, नियम, निर्देश, गार्ड नस्ति तथा पूर्व रजिस्टरों को सम्भालकर रखा जाए।

निजी सहायकः

- ❖ निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य की बैठकों का विवरण रखना
- ❖ निदेशक के फोन कॉल को लेना
- ❖ निदेशक द्वारा दिया गया श्रुति लेखन
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा दिये गये अन्य कार्य प्रभार।

वरिष्ठ सहायकः

- ❖ नस्तियों को खोलना व कायम रखना, नस्तियों की नोटिंग, ड्राफ्टिंग तथा रिकॉर्डिंग देखना, अपनी सम्बन्धित शाखा के विभिन्न रजिस्टरों को बनाये रखना तथा उनका डाटा अपडेट करना
- ❖ भर्ती या पदोन्नति नियमों, सेवा पुस्तिका का रख–रखाव, लीव अकाऊन्ट का सर्विस रिकॉर्ड तैयार करना, पैंशन कागजात तैयार करना, अनुशासनात्मक मामलों तथा निजी नस्तियों इत्यादि सहित स्थापना मामले
- ❖ तकनिकी कर्मचारियों सहित सभी वर्गो की आय स्थायीकरण नियुक्ति, स्थानान्तरण, वरिष्ठता सुनिश्चित् करना तथा ए.सी.पी. के मामले, कोर्ट मामले तथा अन्य मिश्रित मामले।

वरिष्ठ आशु लिपिक/आशु टंककः

- ❖ अधिकारियों द्वारा दिया गया श्रुति लेखन व टंकण कार्य
- ❖ विभाग का अन्य टंकण कार्य
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

कनिष्ठ सहायकः

- ❖ उन्हें सौंपा गया सभी टंकण कार्य
- ❖ सूचना/रिपोर्ट तैयार करने में तथा रजिस्टरों को रखने में वरिष्ठ सहायक की सहायता करना
- ❖ इंचार्ज अधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य

कार्यवाहकः

- ❖ कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में नस्तियों का लाना ले जाना
- ❖ अन्य स्थानीय कार्यालयों में सम्बन्धित पत्रों को पहुंचाना
- ❖ इंचार्ज ऑफिसर द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य।

(iii) निरीक्षण और जवाबदेही सहित, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुकरणीय कार्यप्रणाली / प्रक्रिया :–

विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाएं राज्य सरकार के व्यय की वार्षिक सूची में प्रदान की जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सभी प्रस्तावों को

सरकार की सहमति प्राप्त होने के बाद ही वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है। क्रियान्वित योजनाएं निम्नलिखित हैं:–

1. **एक्वाकल्चर योजना :–** सभी पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों, राज्य तथा जिला स्तरीय मेलों की प्रदर्शनियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से योजनाओं को प्रचारित किया जाता है। मत्स्य क्षेत्रीय सहायक मामलों को क्रियान्वित करने में सहायक होता है तथा उसके बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी / सहायक निदेशक मत्स्य भूमि के स्वामित्व की पूष्टि करने के बाद उस स्थान का निरीक्षण करता है। अनुमान जूनियर इंजीनियर के द्वारा तैयार किये जाते हैं। वित्तीय सहायता काम की प्रगति और प्रावधान के अनुसार जारी की जाती है।

   निर्माण भाग विभाग / लोक निर्माण विभाग / ब्लॉक के जूनियर इंजीनियर द्वारा अन्तिम रूप से जांचा जाता है और अन्तिम भुगतान काम के पूरा होने के पश्चात् अनुमान के अनुसार जारी किया जाता है।

   जूनियर इंजीनियर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करता है, इसके साथ–साथ कार्य में किसी भी प्रकार की हानि या अवनति के लिए क्षेत्र के सहायक निदेशक मत्स्य / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी / मत्स्य अधिकारी उत्तरदायी होते हैं।

2. **मछुआरा कल्याणकारी योजनाएं :–**सभा तथा क्षेत्र के लैंण्डिग केन्द्र के मत्स्य अधिकारी के सुझाव के बाद जलाशयों में मछुआरों की पहचान मछुआरा सहकारी समीति के स्तर पर की जाती है। आवेदन सुझावों के साथ सम्बन्धित जलाशय के सहायक निदेशक मत्स्य को प्रेषित किये जाते हैं।

   गिल नैट, कास्ट नैट और रस्सी इत्यादि के रेट / फर्म का अनुमोदन राष्ट्रीय समाचार पत्रों द्वारा निविदाएं आमन्त्रित करके निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय खरीद कमेटी द्वारा किया जाता है। आपूर्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य के द्वारा मछुआरों की मांग के अनुसार आपूर्ति कर्ता को दिया जाता है और सामग्री सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा जांच करके प्राप्त की जाती है और तब इसको मत्स्य अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित मछुआरों को वितरित किया जाता है।

3. इसी प्रकार योजना के तहत प्रावधानों के अनुसार अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

4. कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी हानि या चूक के लिए सभी सम्बन्धित जवाबदेह हैं।

(iv) अपने कार्यों के निर्वाहन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड :–

विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार विभागीय कार्यो का निर्वहन किया जाता है :–

- निदेशालय विभिन्न स्कीमों और योजनाओं के अन्तर्गत सभी नियन्त्रित अधिकारियों के लक्ष्य और बजट आंबटित करता है। उपलब्धि बजट उपयोगिता, मछली उत्पादन, बीज उत्पादन, राजस्व और रोजगार वृद्धि लक्ष्य के सन्दर्भ में प्रगति की समीक्षा द्वारा आंकी जाती है।
- फार्म प्रभारी (मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी) फार्म के लिए निर्धारित मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। बीज जलाशयों में संग्रहित किया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित दर पर राज्य के मत्स्य उत्पादकों को बेचा जाता है। इन फार्म प्रभारियों के लिए भी मछली उत्पादन जैसे कार्य और साथ ही ट्राऊट उत्पादन के लिए वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- इसी प्रकार जलाशय के प्रभारी सहायक निदेशक मत्स्य को राज्य के मत्स्य उत्पादन के सम्पूर्ण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मछली उत्पादन का लक्ष्य प्रदान किया जाता है।
- मछली उत्पादन के लक्ष्यों के अतिरिक्त प्रत्येक जिला मुखिया विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए साल के लिए निर्धारित इम्पलाईमैन्ट जनरेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है।

(v) कार्यों के निर्वाहन के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रयोग करने अथवा नियन्त्रण के अन्तर्गत रखने हेतू नियम, व्यवस्था, निर्देश, पुस्तकें अथवा रिकार्ड :

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए विभागिय कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित नियम व्यवस्थाएं प्रयोग की जाती है।

- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1976 और नियम 1979
- ❖ सी.सी.एस. अवकाश नियम
- ❖ सी.सी.एस. और सी.सी.ए. नियम
- ❖ एच.पी.एफ.आर. नियम और कोष नियम
- ❖ एच.पी.एफ.आर. और एस.आर. नियम
- ❖ मैडिकल उपस्थिति नियम
- ❖ सामान्य वित्तीय नियम
- ❖ एच.बी. एडवांस नियम
- ❖ वित्तीय शक्तियों का आबंटन
- ❖ छुट्टी यात्रा रियायत नियम
- ❖ बजट पुस्तिका
- ❖ कार्यालय पुस्तिका
- ❖ वाहन नियम
- ❖ पैंशन नियम
- ❖ जी.पी.एफ. नियम

(vi) विभाग द्वारा अथवा इसके नियंत्रण के अन्तर्गत रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण :

मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्य में उपयुक्त होने वाले दस्तावेजों की विभिन्न श्रेणियों का उचित विवरण, जो इसके नियन्त्रण में हैं, निम्न प्रकार से है :–

खाता

- ❖ मासिक लेखा
- ❖ व्यय विवरणी
- ❖ रोकड़ वही
- ❖ रसीद बुक
- ❖ चैक बुक
- ❖ बजट नस्ति
- ❖ सी.ए.जी की रिपोर्ट

- ❖ लेखा परीक्षा रिपोर्ट

स्थापना

- ❖ डाक प्राप्ति / प्रेषण रजिस्टर
- ❖ आकस्मिक छुट्टी लेखा रजिस्टर
- ❖ हाजरी पंजिका
- ❖ कर्मचारी सेवा पुस्तिका
- ❖ कर्मचारी विवरणी की सूची

विविध

- ❖ सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं और स्कीमों के अन्तर्गत वार्षिक बजट की पुस्तिका को निर्धारित करना
- ❖ विभाग में प्रस्तुतिकरण के अन्तर्गत मुख्य कार्यों की सूची बनाना
- ❖ विभाग में कार्यान्वयन के तहत मछुआरों और मत्स्यजीवियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरण देना
- ❖ हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम और नियम
- ❖ विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- ❖ नस्तियों के प्रधान रजिस्टर
- ❖ वाहनों की लॉग बुक
- ❖ डाक टिकट रजिस्टर
- ❖ विधानसभा और संसदीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नस्तियां
- ❖ विधान सभा समीति की रिपोर्ट

उपरोक्त दस्तावेज, आदेशों की पुस्तिका, विशेष वर्णन, नियमावली निदेशालय के साथ / समस्त उप–निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालयों में सहज ही उपलब्ध है।

(vii) विभागिय नीतियों अथवा उस पर कार्यान्वयन व्यवस्था के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श अथवा प्रस्तुतिकरण के लिए किसी व्यवस्था का विस्तृत विवरणः

विभाग की वैब साइट www.hpfisheries.nic.in सामान्य जनता के लिए जानकारी प्राप्त करने के एक उपकरण के रूप में कार्य करती है और

विभाग द्वारा चलाई जा रही नीतियों दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करती है। माननीय मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता के तहत सभी विधायकों के साथ ''राज्य स्तर की योजना बैठक'' प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। विभाग भी सम्मेलनों, कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन करता है जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सुझाव लिए जाते हैं, जिला स्तर 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति और सिकायत समिति का गठन भी सरकार के द्वारा किया गया है जिनमें जनता के प्रतिनिधियों की सदस्यता है और त्रैमासिक बैठकें जिला स्तर पर होती है।

(viii) दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्ड़ों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण जो परामर्श के उद्देश्य से विभाग के एक भाग के रूप में गठित हो सकते हैं इन बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें समय के अनुसार सार्वजनिक जनता के लिए खुली है, या ऐसी बैठकों के प्रारूप जनता के लिए प्राप्त करने योग्य होते हैं अथवा नहीं :–

निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:–

शिर्ष समितियां

(a) हिमाचल प्रदेश मत्स्य कृषक विकास संस्थाओं का शासन निकाय

(b) जलाशय विकास समिति

(c) जल–विद्युत परियोजना के लिए अन्नापति प्रमाण पत्र समिति

निदेशालय स्तर की समितियां

(a) सामग्री खरीद समिति

(b) विभागीय पदोन्नति समिति

(c) जोखिम निधि समिति

जिला स्तर की समिति

(a) सामग्री खरीद समिति

उपरोक्त सभी समितियों की बैठकों के साथ–साथ उनके प्रारूप विभागिय पदोन्नति समिति के अलावा सार्वजनिक जनता के लिए प्राप्त हैं।

ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की विवरणी

क्रं.सं.	पद का नाम/ श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	खाली पद
1.	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य	1	1	0
2.	उप–निदेशक मत्स्य	2	2	0
3.	सहायक अभियंता(सिविल)	1	0	1
4.	अधीक्षक ग्रेड–1	1	1	0
	जोड़	**5**	**4**	**1**
5.	सहायक निदेशक मत्स्य	11	9	2
6.	अनुभाग अधिकारी(एस.ए. एस)	1	1	0
7.	अधीक्षक ग्रेड–II	4	4	0
8.	निजी सहायक	1	1	0
	जोड़	**17**	**15**	**2**
9.	जूनियर अभियंता(सिविल)	2	1	1
10.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी	7	7	0
11.	मत्स्य अधिकारी	31	13	18
12.	वरिष्ठ सहायक	9	8	1
13.	सांख्यिकी सहायक	2	0	2
14.	वरिष्ठ आशु लिपिक	1	1	0
15.	उप–निरीक्षक मत्स्य	15	13	2
16.	आशु टंकक	1	0	1
17.	जूनियर असिस्टैंट/ लिपिक	39	18	21
18.	फार्म सहायक	14	6	8

19.	चालक	9	9	0
20.	मोटर बोट चालक	4	3	1
21.	मकैनिक(ऑटो)	1	1	0
22.	सेल मैन/लिपिक	1	0	1
23.	फीड मील मकैनिक	1	1	0
24.	पम्प ऑपरेटर	1	1	0
	जोड़	**138**	**82**	**56**
25.	क्षेत्रीय सहायक	136	105	31
26.	मत्स्यजीवी	48	42	6
27.	क्षेत्रीय प्रभारी	3	0	3
28.	सफाई कर्मचारी	1	0	1
29.	कार्यवाहक	22	15	7
30.	चौकीदार	13	8	5
31.	चौकीदार–एवं–सफाई कर्मचारी	1	0	1
32.	स्वीपर	1	0	1
	जोड़	**225**	**170**	**55**
	अंतिम जोड़	**385**	**271**	**114**

(x) मौजूद नियमों के अनुसार शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था सहित प्रत्येक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त वेतन :–

क्रं सं.	पद का नाम/श्रेणी	01.01.1996 के अनुसार वेतनमान	01.01.2006 के अनुसार वेतनमान	वेतन बन्धन
		श्रेणी–1		
1.	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य	14300–18600	37400–67000	8700
2.	उप–निदेशक मत्स्य	7880–11660	10300–34800	5400
3.	सहायक अभियंता (सिविल)	7880–11660	10300–34800	5400
4.	अधीक्षक ग्रेड–1	7220–11660	15600–39100	5400
		श्रेणी–II		
5.	सहायक निदेशक मत्स्य	7000–10980	10300–34800	4400
6.	अनुभाग अधिकारी (एस.ए.एस)	7000–10980	10300–34800	5000
7.	अधीक्षक ग्रेड– II	6400–10640	10300–34800	4800
8.	निजी सहायक	6400–10640	10300–34800	4800
		श्रेणी– III		
9.	जूनियर अभियंता (सिविल)	5800–9200	10300–34800	3800
10.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी	5800–9200	10300–34800	3800
11.	मत्स्य अधिकारी	5480–8925	10300–34800	3600
12.	वरिष्ठ सहायक	5800–9200	10300–34800	4400

13.	सांख्यिकी सहायक	5480–8925	10300–34800	3600
14.	वरिष्ठआशु लिपिक	5800–9200	10300–34800	4400
15.	उप–निरीक्षक मत्स्य	4020–6200	5910–20200	2400
16.	आशु टंकक	3330–6200–	5910–20200	2000
17.	जूनियर असिस्टैंट	4400–7000	5910–20200	3600
18.	लिपिक	3120–5160	5910–20200	1900
19.	फार्म सहायक	3120–5160	5910–20200	1900
20.	चालक	3330–6200	5910–20200	2400
21.	मोटर बोट चालक	3120–5160	5910–20200	1900
22.	मकैनिक(ऑटो)	3120–5160	5910–20200	1900
23.	सैल्समैन–कम–कलर्क	3120–5160	5910–20200	1900
24.	फीड मील मकैनिक	3120–5160	5910–20200	1900
25.	पम्प ऑपरेटर	3120–5160	5910–20200	1900
		श्रेणी– IV		
26.	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	2820–4400	4900–10680	1650
27.	मत्स्यजीवी	2720–4260	4900–10680	1400
28.	क्षेत्रीय प्रभारी	2720–4260	4900–10680	1400
29.	सफाई कर्मचारी	2620–4140	4900–10680	1300
30.	कार्यवाहक	2620–4140	4900–10680	1300
31.	चौकीदार	2620–4140	4900–10680	1300
32.	चौकीदार–कम–स्वीपर	2620–4140	4900–10680	1300
33.	स्वीपर	2620–4140	4900–10680	1300

(xi) अपनी प्रत्येक शाखा को निर्धारित बजट, सभी योजनाओं के विवरण को प्रकाशित करना, प्रस्तावित व्यय और भुगतान पर रिपोर्ट भेजनाः

वर्ष 2014–15 अपने प्रत्येक कार्यालय को आबंटित बजट तथा सभी योजनाओं का विवरण :–

1. उप–निदेशक मत्स्य(मु0), बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

क्रं.सं.	मुख्य विवरण/योजना का नाम	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2015 तक
1.	2405–00–001–01(सून)	230.00	230.00
2.	2405–00–101–02(सून) कार्प बीज उत्पादन	407.00	407.00
3.	2405–00–109–02(सून)	60.00	60.00
4.	2405–00–101–05(सून)	1071.00	1071.00
5.	2405–00–109–03–$S_{25}N$	505.00	505.00
6.	2405–00–800–01(सून)	200.00	199.00
7	2405–00–800–03(सून)	124.00	123.00
8.	2405–00–101–06(सूना)	2000.00	2000.00
	जोड़	**4597.00**	**4595.00**

उप–निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल(कुल्लू)

कं.सं.	मुख्य विवरण/योजना का नाम	स्वीकृत बजट(हजारों में)	व्यय 31.03.2015 तक
1.	2405–00–101–02(सून)	15.00	15.00
2.	2405–00–101–03(सून)	7141.00	7140.00
3.	2405–00–101–06(एस 50 एन)	180.00	180.00
4.	2405–00–101–06(सी 50 एन)	180.00	180.00
5.	2405–00–789–02(सून)	8.00	8.00
6.	2405–00–789–03(एस 50 एन)	36.00	36.00
7.	2405–00–789–03(सी 50 एन)	36.00	36.00
	जोड़	**7596.00**	**7595.00**

1. सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा

कं.सं.	मुख्य विवरण/योजना का नाम	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2015 तक
1.	2405–00–001–01(सून)	40.00	40.00
2.	2405–00–101–02(सून) कार्प बीज उत्पादन	417.00	416.00
3.	2405–00–101–03(सून) ट्राऊट बीज फार्म	228.00	228.00
4.	2405–00–101–04(सून)	85.00	85.00

5.	2405–00–101–06(एस 50 एन)	197.00	197.00
6.	2405–00–101–06(सी 50 एन)	197.00	197.00
7.	2045–00–800–02 $S_{33}N$	69.00	69.00
8.	2045–00–800–02 $C_{33}N$	69.00	69.00
9.	2405–00–789–02(सून)	133.00	133.00
10	2405–00–789–03(एस 50 एन)	51.00	51.00
10.	2405–00–789–03(सी 50 एन)	51.00	51.00
11.	2405–00–796–02(सून)	120.00	120.00
12.	2405–00–796–04(ऊस)	200.00	200.00
13.	2405–00–796–05(ऊस)	30.00	30.00
14.	2405–00–796–06(एस 50 एन)	125.00	125.00
15.	2405–00–796–06(सी 50 एन)	125.00	125.00
10.	2405–00–789–04 $S_{33}N$	21.00	21.00
11.	2405–00–789–04$C_{33}N$	21.00	21.00
	जोड़	**2179.00**	**2178.00**

2. सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल, बिलासपुर

क्रं.सं.	मुख्य विवरण/योजना का नाम	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2015 तक
1.	2405–00–001–01(सून)	60.00	60.00

2.	2405-00-101-02(सून) संरक्षण	100.00	100.00
3.	2405-00-101-02(सून) कार्प बीज उत्पादन	2790.00	2768.00
4.	2405-00-101-03-(सून)	4.00	4.00
5.	2405-00-101-04(सून)	65.00	65.00
6.	2405-00-101-06-(एस 50 एन)	300.00	300.00
7.	2405-00-101-06(सी 50 एन)	300.00	300.00
8.	2405-00-109-02(सून)	5.00	5.00
9.	2405-00-800-02($S_{33}N$)	448.00	448.00
10.	2405-00-800-02($C_{33}N$)	448.00	448.00
11.	2405-00-789-02(सून)	123.00	123.00
12.	2405-00-789-03(एस 50 एन)	66.00	66.00
13.	2405-00-789-03(सी 50 एन)	66.00	66.00
14.	2405-00-789-04($S_{33}N$)	882.00	882.00
15.	2405-00-789-04($C_{33}N$)	882.00	882.00
	जोड़	**6539.00.**	**6517.00**

3. सहायक निदेशक मत्स्य, पौंगडैम

क्रं.सं.	मुख्य विवरण/योजना का नाम	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2015 तक
1.	2405-00-101-02(सून) संरक्षण	100.00	100.00
2.	2405-00-101-02(सून) मछली बीज उत्पादन	2719.00	2718.00
3.	2405-00-101-06(एस 50 एन)	45.00	45.00
4.	2405-00-101-06(सी 50 एन)	45.00	45.00
5.	2405-00-800-02($C_{33}N$)	1134.00	1134.00
6.	2405-00-800-02($C_{33}N$)	1134.00	1134.00
7.	2405-00-789-02(सून)	100.00	100.00
8.	2405-00-789-03(एस 50 एन)	30.00	30.00
9.	2405-00-789-03(सी 50 एन)	30.00	30.00
10.	2405-00-789-04($S_{33}N$)	230.00	230.00
11.	2405-00-789-04($C_{33}N$)	230.00	230.00
	जोड़	**5797.00**	**5796.00**

4. सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर जिला कांगड़ा

क्रं.सं.	मुख्य विवरण/योजना का नाम	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2015 तक

1.	2405–00–001–01(सून)	110.00	110.00
2.	2405–00–101–02(सून) कार्प बीज उत्पादन	235.00	235.00
3.	2405–00–101–04(सून)	95.00	95.00
4.	2405–00–101–06(एस 50 एन)	180.00	180.00
5.	2405–00–101–06(सी 50 एन)	180.00	180.00
6.	2405–00–789–02(सून)	138.00	138.00
7.	2405–00–789–03(एस 50 एन)	246.00	246.00
8.	2405–00–789–03(सी 50 एन)	246.00	246.00
9.	2405–00–796–05(ऊस)	30.00	30.00
	जोड़	**1460.00**	**1460.00**

5. सहायक निदेशक मत्स्य,नाहन (जिला सिरमौर)

क्रं.सं.	मुख्य विवरण/योजना का नाम	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2015 तक
1.	2405-00-101-01(सून)	75.00	75.00
2.	2405-00-101-02(सून)	10.00	10.00
3.	2405-00-101-06(एस 50 एन)	180.00	180.00
4.	2405-00-101-06(सी 50 एन)	180.00	180.00
5.	2405-00-789-02(सून)	233.00	233.00
6.	2405-00-789-03(एस 50 एन)	36.00	36.00
7.	2405-00-789-03(सी 50 एन)	36.00	36.00
	जोड़	**750.00**	**750.00**

6. सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला जिला शिमला

क्रं.सं.	मुख्य विवरण/योजना का नाम	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2015 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	228.00	228.00
2.	2405-00-101-02(सून)	15.00	15.00
3.	2405-00-101-03(सून) ट्राऊट बीज फार्म	248.00	247.00
4.	2405-00-101-06(एस 50 एन)	180.00	180.00
5.	2405-00-101-06(सी	180.00	180.00

	50 एन)		
6.	2405–00–789–02(सून)	33.00	33.00
7.	2405–00–789–03(एस 50 एन)	36.00	36.00
8.	2405–00–789–03(सी 50 एन)	36.00	36.00
9.	2405–00–796–02(सून)	251.00	249.00
10.	2405–00–796–04(ऊस)	100.00	100.00
11.	2405–00–796–06(एस 50 एन)	125.00	125.00
12.	2405–00–796–06(सी 50 एन)	125.00	125.00
	जोड़	**1557.00**	**1554.00**

7. सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डी जिला मण्डी

कं.सं.	मुख्य विवरण/योजना का नाम	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2015 तक
1.	2405–00–001–01(सून)	75.00	75.00
2.	2405–00–101–02(सून) मछली बीज उत्पादन	500.00	500.00
3.	2405–00–101–03(सून) ट्राऊट बीज फार्म	107.00	107.00
4.	2405–00–101–04(सून)	65.00	65.00
5.	2405–00–101–06(एस 50 एन)	180.00	180.00
	2405–00–101–06(सी 50 एन)	180.00	180.00
6.	2405–00–789–02(सून)	143.00	143.00

7.	2405–00–789–03(एस 50 एन)	36.00	36.00
	2405–00–789–03(सी 50 एन)	36.00	36.00
	2405–00–796–05(ऊस)	20.00	20.00
	2405–00–109–02(सून)	15.00	15.00
	जोड़	**1357.00**	**1357.00**

8. सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना जिला ऊना

कं.सं.	मुख्य विवरण/योजना का नाम	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03. 2015 तक
1.	2405–00–001–01(सून)	55.00	55.00
2.	2405–00–101–02(सून)	110.00	110.00
3.	2405–00–101–06(एस 50 एन)	390.00	390.00
4.	2405–00–101–06(सी 50 एन)	390.00	390.00
5.	2405–00–789–02(सून)	208.00	208.00
6.	2405–00–789–03(एस 50 एन)	36.00	36.00
7.	2405–00–789–03(सी 50 एन)	36.00	36.00
8.	2405–00–796–05(ऊस)	20.00	20.00
	जोड़	**1245.00**	**1245.00**

9. सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन जिला सोलन

क्रं.सं.	मुख्य विवरण/योजना का नाम	स्वीकृत बजट (हजारों में)	व्यय 31.03.2015 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	196.00	196.00
2.	2405-00-101-02(सून)	120.00	120.00
3.	2405-00-101-06(एस 50 एन)	180.00	180.00
	2404-00-101-06(सी 50 एन)	180.00	180.00
4.	2405-00-789-02(सून)	108.00	108.00
5.	2405-00-789-03(एस 50 एन)	36.00	36.00
	जोड़	**820.00**	**820.00**

10. सहायक निदेशक मत्स्य, हमीरपुर जिला हमीरपुर

क्रं.सं.	मुख्य विवरण/योजना का नाम	स्वीकृत बजट(हजारों में)	व्यय 31.03.2015 तक
1.	2405-00-001-01(सून)	20.00	20.00
2.	2405-00-101-06(एस 50 एन)	180.00	180.00
3.	2404-00-101-06(सी 50 एन)	180.00	180.00
4.	2405-00-789-02(सून)	133.00	133.00
5.	2405-00-789-03(ऐी 50 एन)	36.00	36.00

6.	2405–00–789–03(सी 50 एन)	36.00	36.00
	जोड़	**585.00**	**585.00**

(xii) आबंटित राशि सहित अनुदान कार्यक्रमों को लागू करने का तरीका तथाऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण :–

आर्थिक सहायता के लिए लाभार्थियों का चयन उप–निरीक्षक मत्स्य / मत्स्य अधिकारी / वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी द्वारा किया जाता है और सम्पूर्ण मामला सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य / उप–निदेशक मत्स्य को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। आर्थिक सहायता सुविधा का विस्तार नियमों के अन्तर्गत सीमाओं के भीतर रहकर निर्धारित किया जाता है।

(xiii) विभाग द्वारा छूट, स्वीकृतियां अथवा अधिकार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण :–

विभाग द्वारा कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की जाती।

(xiv) इलैक्ट्रोनिक रूप में विभाग द्वाराउपलब्ध जानकारी के सम्बन्ध में विवरण :–

- ❖ विभागीय स्कीमों के बारे में जानकारी विभागीय वैब साईट http://hpfisheries.nic.inपर ली जा सकती है।
- ❖ विभाग की वैवसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।

(xv) एक पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूम के कार्य सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए जनता के प्रयोग के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

विभाग से सम्बन्धित सूचना विभाग की वैब साइट http://hpfisheries.nic.in में देखी जा सकती है। कोई भी नागरिक इस सूचना को प्राप्त कर सकता है। मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश में जनता के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय या रीडिंग रूम की सुविधा या व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(xvi) नाम, पद और अन्य जन सूचना अधिकारियों का विवरण :–

मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश

राज्य स्तरीय

अपील सम्बन्धी अधिकारी	**पद और कार्यालय पता**	**अधीन (क्षेत्र/विषय)**	**ई–मेल का पता**	**दूरभाष/फैक्स नंम्बर**
पहला अपील अधिकारी	निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य निदेशालय मत्स्य पालन, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	dirfisheries-bil-hp-@nic.in fisheries-hp@nic.in	01978–224068 (कार्यालय) 223090(घर) मोबाईल–94184–53030

राज्य स्तरीय

पी.आई.ओ. /ए.पी.आई. ओ.	**पद और कार्यालय का पता**	**अधीन (क्षेत्र/विषय)**	**ई–मेल का पता**	**कार्यालय दूरभाष नंम्बर**
पी.आई.ओ.	उप–निदेशक मत्स्य(मु0) निदेशालय मत्स्य पालन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश–174001	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	ddfisheries-bil-hp-@nic.in	01978–223212 (कार्यालय)
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य(मु0)	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	adffisheries-bil-hp-@nic.in	01978–223212 (कार्यालय)
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य(20 सूत्रीय)	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	---	01978–223212 (कार्यालय)

ए.पी.आई. ओ.	अधीक्षक ग्रेड–II निदेशालय मत्स्य पालन बिलासपुर	सम्पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश	---	01978–223212 (कार्यालय)

जिला स्तर

क्रं.सं.	**पद और कार्यालय का पता**	**अधीन (क्षेत्र/विषय)**	**ई–मेल का पता**	**कार्यालय दूरभाष नंम्बर**
जिला बिलासपुर				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य मण्डल बिलासपुर	जिला बिलासपुर	---	01978–222568 (कार्यालय)
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी दियोली (घाघस)	मत्स्य फार्म दियोली(घाघस)	---	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी लठियानी, जिला ऊना	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, लठियानी	---	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी भाखड़ा, जिला बिलासपुर	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, भाखड़ा	---	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी संरक्षण, बिलासपुर	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, बिलासपुर	---	...
ए.पी.आई. ओ.	उप–निरीक्षक मत्स्य, मान्दली	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, मान्दली	---	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, जगातखाना	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, जगातखाना	---	...
जिला मण्डी				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य	जिला मण्डी	adfmandi@yohoo.co.in	01905–235141

	मण्डल मण्डी			(कार्यालय)
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, मत्स्य फार्म, अल्सू, जिला मण्डी	कार्प मत्स्य फार्म, अल्सू, जिला मण्डी	---	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट फार्म, वरोट, जिला मण्डी	ट्राऊट फार्म, वरोट, जिला मण्डी	---	...
जिला कुल्लू				
पी.आई.ओ.	उप–निदेशक मत्स्य, पतलीकुहल, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	जिला कुल्लू	---	01902–240163 (कार्यालय)
ए.पी.आई. ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पतलीकुहल, जिला कुल्लू	इण्डो ट्राऊट फार्मिंग प्रोजैक्ट पतलीकुहल	---	01902–240163 (कार्यालय)
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, बटाहर हैचरी, जिला कुल्लू	बटाहर हैचरी, जिला कुल्लू	---	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, लारजी, जिला कुल्लू	लारजी, जिला कुल्लू	---	...
पौंगडैम				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, पौंगडैम, जिला कांगड़ा	जिला कांगड़ा	---	01893–288910 (कार्यालय)

ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, धमेटा, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, धमेटा	---	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, देहरा	---	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, ज्वाली, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, ज्वाली	---	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, नगरोटा सूरियां	---	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, बरनाली, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, बरनाली	---	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, नन्दपुर, जिला कांगड़ा	मत्स्य लैडिंग केन्द्र, नन्दपुर	---	...
जिला चम्बा				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, चम्बा स्थित सुल्तानपुर, जिला चम्बा	जिला चम्बा	---	01899–223801 (कार्यालय)
ए.पी.आई. ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, चम्बा स्थित सुल्तानपुर,	जिला चम्बा	---	...

	जिला चम्बा			
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, ट्राऊट मत्स्य फार्म, होली, जिला चम्बा	ट्राऊट फार्म, होली,	---	...
हमीरपुर और कांगड़ा (पौंगडैम सहित)				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, पालमपुर, जिला कांगड़ा	जिला कांगड़ा(पौंग जलाशय सहित) और हमीरपुर	adfpalampur@yohoo.co.in	01894–231872 (कार्यालय)
ए.पी.आई. ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, हमीरपुर	जिला हमीरपुर	---	...
ए.पी.आई. ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, पालमपुर	जिला पालमपुर	---	...
ए.पी.आई. ओ.	उप–निरीक्षक मत्स्य, कांगड़ा	मत्स्य फार्म, कांगड़ा	---	...
जिला किन्नौर और शिमला				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, शिमला–5	जिला शिमला और किन्नौर	---	0177–2830171 (कार्यालय)
ए.पी.आई. ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, शिमला	जिला शिमला	---	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, धमबाड़ी	ट्राऊट फार्म, धमबाड़ी	---	...
ए.पी.आई. ओ.	मत्स्य अधिकारी, सांगला	ट्राऊट फार्म, सांगला	---	...

जिला सिरमौर और सोलन				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, सोलन स्थित शामती, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश	जिला सोलन और सिरमौर		01792–229454 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर	जिला सिरमौर		
ए.पी.आई.ओ.	जूनियर असिस्टैंट, सहायक निदेशक मत्स्य सोलन	जिला सोलन		01792–229454 (कार्यालय)
जिला ऊना				
पी.आई.ओ.	सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना, हिमाचल प्रदेश	जिला ऊना	adfuna@yohoo.co.in	01975–227792 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	जूनियर असिस्टैंट, सहायक निदेशक मत्स्य ऊना	जिला ऊना	...	01975–227792 (कार्यालय)
ए.पी.आई.ओ.	उप–निरीक्षक मत्स्य, सहायक निदेशक मत्स्य, ऊना	जिला ऊना	...	01975–227792 (कार्यालय)

वर्ष 2015–16 में सेवा निवृत विभागीय अधिकारी/कर्मचारी 2015–16 की सेवा निवृतियां (अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक)

क्रं.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृति की तिथि
1	श्री मान सिंह	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	30.04.2015
2	श्री पवन कुमार	मत्स्य जीवि	31.05.2015
3	श्री प्यारे लाल	चौकीदार	30.06.2015
4	श्री जगजीत सिंह	अधीक्षक ग्रेड–।	30.09.2015
5	श्री जीवन लाल नेगी	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी	31.10.2015
6	श्री जोगिन्द्र सिंह	चौकीदार–सह–मेहतर	31.10.2015
7	श्री विजय कुमार डोगरा	वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी	30.11.2015
8	श्री धनी राज	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	30.11.2015
9	श्री प्रताप सिंह	उप मत्स्य निरक्षक	31.01.2016
10	श्री राजिन्द्र कुमार	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31.01.2016
11	श्री गोपाल सिंह	मत्स्य क्षेत्रीय सहायक	31.01.2016
12	श्री सुनील मैहता	सहायक निदेशक मत्स्य	31.03.2015
13	श्रीमति कौश्लया देवी	मत्स्य जीवि	31.03.2016

******